सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

21 जुलाई, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

अष्टादश विधान सभा
तृतीय सत्र

मंगलवार,तिथि 21 जुलाई, 2026 ई०
30 आषाढ़, 1948 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं०–1, श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र सं०–77, महिषी)
(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारु संचालन, शिक्षक–छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति–पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संरचित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 अधिसूचित की गयी है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानान्तरण की कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात् जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जायेगी ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार कि क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक वर्ष..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है । गौतम बाबू, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए ।

श्री गौतम कृष्ण : महोदय, मैं उसके बाद आ रहा हूं । अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किन्तु वर्ष 2025 में भी कैलेण्डर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अबतक टी0आर0ई0–4 की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, यदि हां तो शिक्षक अभ्यर्थियों के हितों,

यह मेरा प्रश्न था और जो सरकार का जवाब आया है पूरी तरह से यह गोल–मटोल है । हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं कि इसमें कहा गया है कि आकलन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए ।

श्री गौतम कृष्ण : आकलन किया जा रहा है और फिर जुलाई, 2026 में..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज । अब माननीय मंत्री खड़े हो गये हैं । सुन लीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड (क) स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारु संचालन, शिक्षक–छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति–पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संरचित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 अधिसूचित की गयी है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानान्तरण की कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात् जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE-4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जायेगी ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री है कि जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, इंटरेंस टेस्ट दिया, उसके बाद बी0एड0 किया, डी0एल0एड0 दो साल का, फिर उसमें और कई परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद एस0टी0ई0टी0 किया, सी0टी0ई0टी0 किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पी0टी0 होगी, फिर मेंस होगी, फिर उसके बाद मैरिट बनेगी..

अध्यक्ष : सारी बातों का जवाब माननीय मंत्रीजी ने दे दिया है ।

श्री गौतम कृष्ण : तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति, चूंकि कई परीक्षाएं वे दे चुके हैं । एस0टी0ई0टी0 और सी0टी0ई0टी0 में ऑलरेडी पी0टी0 की परीक्षा

वे दे चुके हैं, इसलिए अब एक परीक्षा पर ही उनका मैरिट लिस्ट बने यह मेरा सरकार और मंत्री साहब से आग्रह होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्रीजी, इसको दिखवा लीजिए ।
माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बातें आपकी रिकार्ड में आ गयी हैं ।

श्री गौतम कृष्ण : महोदय, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ की गयी, 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और 6–7 महीने हो गये अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है । मेरा आग्रह होगा मंत्री महोदय से जरा इसको दिखवा लिया जाय ।

अध्यक्ष : सरकार दिखवा लेगी । माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये ।
माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–2, श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र सं0–15, केसरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : 1– स्वीकारात्मक ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि सरकार द्वारा नवगठित उच्च शिक्षा विभाग में सृजित पदों की संख्या 161 के विरूद्ध सचिव के 01 पद, विशेष सचिव 01, संयुक्त सचिव 01, उप सचिव 03, आंतरिक वित्तीय सलाहकार 01, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार 01, अवर सचिव 03, प्रशाखा पदाधिकारी 05, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 13, आशुलिपिक 03 सहित वर्तमान में 32 पदाधिकारी/कर्मी कार्यरत हैं । शेष रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारों यथा– सामान्य प्रशासन विभाग एवं सेवा प्रदात्ता एजेंसियों से विभाग में पदाधिकारियों/कर्मियों के पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का उत्तर आया है । माननीय मंत्रीजी ने उत्तर में कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग में जिसका गठन सात महीने पहले ही हुआ है, उन्होंने कहा है कि 161 पदों के अगेंस्ट सिर्फ 32 पदों पर नियुक्ति हुई है, जो लगभग 20 प्रतिशत होती है । मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्चतर शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय संघ आयोग, 15 भाषायी अकादमियों तथा राज्य के विश्वविद्यालय के सत्रों का निर्धारण करना, समय पर शैक्षणिक कर्त्तव्य निभाना विभाग का काम है, तो क्या सिर्फ 20 प्रतिशत कर्मियों से यह काम हो सकता है ? माननीय मंत्रीजी क्या कहना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न यह है कि उच्च शिक्षा विभाग में 161 पद सृजित हैं और उसके विरूद्ध, उनके अनुसार 24 लेकिन

हमारे अनुसार 32 पदाधिकारी और कर्मी इसमें कार्यरत हैं । चूंकि सबको पता है कि निकट कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग से विभाग अलग हुआ था तो बाकि जो पदाधिकारी और कर्मी हैं उनकी कमी पूरी हो इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है । महोदय, मुझे लगता यह कमी जल्द पूरी कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब हो गया । पूछ लीजिए । एक मिनट ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि कब–कब, क्या–क्या रिक्वॉयरमेंट आपने भेजे हैं, आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने कॉलेज की स्थापना की है । जो 211 डिग्री कॉलेजों की शुरूआत हुई है, बहुत धन्यवाद देती हूं सरकार को और माननीय मंत्रीजी को, लेकिन मैं साथ–साथ यह भी जानना चाहूंगी कि इन कर्मियों की मांग कब–कब हुई है और सरकार कब तक इसको पूरी करके, कर्मियों को पदस्थापित करके सदन को सूचना देगी ।

अध्यक्ष : सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है, थोड़ा वेट कीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, माननीय मंत्रीजी एक टाइम लाईन, बहुत इंर्पोटेंट है सबों के लिए, बिहार के विकास के लिए ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, टाइम लाईन तो सामान्य प्रशासन विभाग दे सकता है । हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : जी बिल्कुल । माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं॰–3, श्री श्याम रजक (क्षेत्र सं॰–188, फुलवारी, अ॰जा॰)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि विभागान्तर्गत संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालयों (कुल–96) में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या–3456 है।

विभागान्तर्गत कुल स्वीकृत विद्यालयों की संख्या–96 है। वर्तमान में 91 विद्यालय ही संचालित हैं । साथ ही, उच्च माध्यमिक के कुल 46 विद्यालय ही संचालित हैं एवं 4 निर्माणाधीन हैं । उक्त के अनुसार माध्यमिक तक कुल 1456 पद स्वीकृत हैं एवं उच्च माध्यमिक के कुल 950 पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में कुल 2406 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध कुल 1290 शिक्षक कार्यरत हैं । विभाग द्वारा BPSC TRE-4 के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल–1048 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है । शेष पद प्रोन्नति के लिए निर्धारित है।

विभागान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में कुल–20 संगीत/कला के शिक्षक कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब भेजा है, लेकिन मैं उस जवाब से संतुष्ट इसलिए नहीं हूं कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय का जो निर्माण हुआ था उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चें हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाय, लेकिन अभी तक 62 प्रतिशत शिक्षक नहीं हैं । जब 62 प्रतिशत शिक्षक नहीं हैं तो उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री श्याम रजक : ये कह रहे हैं कि बी0पी0एस0सी0 से अधियाचना की जा रही है । अधियाचना ही होती रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे ? कैसे पढ़ेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागान्तर्गत संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालयों (कुल–96) में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या–3456 है।

विभागान्तर्गत कुल स्वीकृत विद्यालयों की संख्या–96 है। वर्तमान में 91 विद्यालय संचालित हैं । साथ ही, उच्च माध्यमिक के कुल 46 विद्यालय में संचालित हैं एवं 4 निर्माणाधीन हैं । उक्त के अनुसार माध्यमिक तक कुल 1456 पद स्वीकृत हैं एवं उच्च माध्यमिक का कुल 950 पद स्वीकृत हैं। इस प्रकार वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में कुल 2406 पद स्वीकृत हैजिसके विरूद्ध कुल 1290 शिक्षक कार्यरत हैं । विभाग द्वारा BPSC TRE-4 के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल–1048 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है । शेष पद प्रोन्नति के लिए निर्धारित है।

विभागान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में कुल–20 संगीत/कला के शिक्षक कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गयी है । महोदय, ज्यों ही, चूंकि बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है, बी0पी0एस0सी0 को अधियाचना हमलोग भेजते हैं । ज्यों ही, अभी शिक्षा विभाग में हुई है, मेरे विभाग में भी बहाली हुई है, ज्यों ही बी0पी0एस0सी0 अधियाचना स्वीकृत कर बहाली करेगी, बहाली हो जायेगी ।

श्री श्याम रजक : महोदय, ये जो सवाल का जवाब भेजे थे, उसी को इन्होंने पढ़ा है । मैं पूछ रहा हूं कि इनके अनुसार जो 96 में 91 विद्यालय ही कार्यरत हैं, तो बाकी जो 05 विद्यालय हैं उसमें चल नहीं रहे हैं एक । दूसरा है कि अधियाचना ये जारी किये हैं, बी0पी0एस0सी0 से मांग रहे हैं, कब होगा, क्या होगा एक समय–सीमा ये दें कि इतने समय तक हम इसमें शिक्षक बहाल कर देंगे । एक समय–सीमा दें ।

टर्न–2 / अंजली / 21.07.2026

अध्यक्ष : सरकार का प्रयास जारी है । आशा कीजिए कि जल्द ही हो जाएगा ।

श्री श्याम रजक : महोदय, जारी है, जारी ही रहेगी, लेकिन यह कब तक हो जाएगा, एक तिथि तो तय करें कि इतना तारीख तक या इस महीने तक या इस वर्ष तक हम वहां शिक्षक बहाल कर देंगे, ताकि बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े ।

अध्यक्ष : बी0पी0एस0सी0 को बहाल करना है । माननीय मंत्री जी की अनुशंसा गई है ।

श्री श्याम रजक : महोदय, गया है और जाते रहेगा । कब तक होगा ? क्या छात्र पढ़ने से वंचित रहेंगे ?

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है और आपकी चिंता पर सरकार पूरी गंभीरता से अधियाचना बी0पी0एस0सी0 को भेजी है और बहुत जल्द, जब ज्योंहीं बी0पी0एस0सी0 इस अधियाचना के आधार पर बहाली करेगी, विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद ही बता दें माननीय सदस्य जी को कि विभाग इंतना गंभीर है, जो पूरे जिले के सभी जिलाओं में सावित्रीबाईफुले छात्रावास की अलग से स्वीकृति दी गई है । अभी और 40 आवासीय विद्यालय का निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षकों की बहाली करनी है, इसलिए बी0पी0एस0सी0 से अधियाचना की गई है । ज्योंहीं बी0पी0एस0सी0 बहाली करेगी । हमारी शिक्षकों की संख्या पूरी हो जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री मंजीत कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए । माननीय मुख्यमंत्री जी, बोल रहे हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह अति गंभीर विषय है, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वह भी सही है और माननीय सदस्य की जो चिंता है वह भी गंभीर है । इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूं और एक महीने के अंदर वहां पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे ।

श्री श्याम रजक : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं॰–4, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं॰–100, बरौली)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो अपलोड कर दिया गया है, हो सकता है माननीय सदस्य को नहीं मिला हो ।

1. स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि यू–डायस 2025–2026 के आँकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 35 जिलों में कुल 2276 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि यू–डायस 2025–26 के आँकड़ों के अनुसार उच्चतर माध्यमिक (10+2) विद्यालयों की संख्या–9297 है, जिसमें से 34 जिलों के 720 विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–177, दिनांक–07.03.2022 द्वारा प्रथम चरण में उत्क्रमित कुल 677 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 82417.98 लाख रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 28400.00 लाख रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक स्तर का कक्षा 1 से 8 तक बिहार के अंदर 2 करोड़ 25 लाख बच्चे नामित हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और 9 से 12 में 45 से 50 लाख बच्चे 9 से 12 क्लास में हैं और 10+2 में 25 लाख बच्चे नामित हैं सरकारी विद्यालयों में । शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्र–छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक हो, उच्चतर मध्य विद्यालय हो, 10+2 है, उसमें भवनों का निर्माण नहीं है, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे और सरकार यह बताए कि कब तक विद्यालयों के भवन का निर्माण सरकार के स्तर से करा दी जाएगी ?

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें से कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अभी तक भूमि नहीं है । महोदय, हमने विभाग को निर्देशित किया है कि भवन विहीन एवं भूमि विहीन विद्यालयों की सूची तुरंत बनाकर दें, मेरे ख्याल से एक सप्ताह के अंदर वह सूची हमें प्राप्त हो जाएगी और जो भी भूमि विहीन विद्यालय हैं, उसके लिए हम राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग को आग्रह करेंगे, जैसे ही भूमि मिलेगी, प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का कार्य हम प्रारंभ कराएंगे और बाकी अभी हमने कहा कि 720 विद्यालयों में से 677 विद्यालयों की प्रशासनिक स्वीकृति करके और उसके लिए हमलोगों ने फंड रिलीज कर दिया है और आगे भी करेंगे, हमारा संकल्प है कोई भी विद्यालय बिना भवन का न रहे । उसे हमलोग जल्दी पूरा करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए । माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बोलेंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो माननीय सदस्य मंजीत जी ने पूछा और हमारे मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बताया, सरकार को पूरी आशा है कि मंजीत जी और मिथिलेश जी एक दूसरे की बात

अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए इस समस्या का भी निदान हो ही जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री देवेशकान्त सिंह ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पच्चासों–सैंकड़ों ऐसे स्कूल के भवन हैं जिसे चार साल से, पांच साल से हाथ लगाकर छोड़ दिया गया है, कंप्लीट नहीं कर रहा है, आउटसोर्सिंग का एक जे0ई0 है, आउटसोर्सिंग का एक ई0ई0 है, इंफ्रास्ट्रक्चर....

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : सारा ऐसे ही पड़ा है, हमलोग लिख–लिखकर थक गए हैं ।

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए, माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है ।

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए, सरकार देख लेगी ।

(व्यवधान)

देवेशकांत सिंह जी, खड़े होइए ।

श्री विशाल कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : लिखित दे दीजिए । दिखवा लिया जाएगा ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए । गोपाल बाबू, बैठिए । अग्रवाल जी, बैठ जाइए । देवेशकांत जी, पूरक पूछ लीजिए ।

(व्यवधान)

मौका देंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं॰–5, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं॰–111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक ।

2. अस्वीकारात्मक । बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न रोजगार उन्मुख योजनाओं के माध्यम से फैशन और सिलाई के अंतर्गत 286 केन्द्र के माध्यम से 31,906 प्रशिक्षार्थी, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत 16 केन्द्र के माध्यम से 1596 प्रशिक्षार्थी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्तर्गत 123 केन्द्र के माध्यम से 16,579 प्रशिक्षार्थी, हेल्थ केयर के अन्तर्गत 189 केन्द्रों के माध्यम से 21,843 प्रशिक्षार्थी बढ़ई कोर्स हेतु 1 केन्द्र के माध्यम से 150 प्रशिक्षार्थी और नाई हेतु 55 केन्द्र के माध्यम से 4247 प्रशिक्षार्थी का नामांकन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया है।

3. बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में प्रखंड कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिसमें बेहतर संचालन एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं को और वृहद स्वरूप के उद्देश्य को दृष्टिगोचर रखते हुए इस योजना को लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर तो प्राप्त है लेकिन पहले ही उत्तर में अस्वीकारात्मक लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, यह मेरे समझ से परे है । हमको लगता है कि विभाग में टंकनीय भूल में हमारे प्रश्न में 5.5 लाख है और जवाब में 50 लाख लिखकर उसको टंकनीय भूल है, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए उनके स्तर से ।

अध्यक्ष : इसको सुधार कर लिया जाए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : उसको सुधार करके पुनः जवाब दिया जाए ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : दूसरा, उन्होंने दूसरे खंड में भी अस्वीकारात्मक लिख दिया है और मेरा कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या जिनको ट्रेंड किया गया है, उनके अनुसार उनकी योग्यता के अनुकूल, उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मत्री : महोदय, खंड–क अस्वीकारात्मक इसलिए लिखा गया है कि इनका कहना है कि साढ़े 5 लाख, मेरा कहना है कि साढ़े 8 लाख लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य बाहर थे, इसलिए अगर 50 लाख मिस प्रिंट है, तो उसको आप साढ़े 5 लाख भी पढ़ें, तब भी यह अस्वीकारात्मक या आंशिक स्वीकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि आपसे मेरा डाटा अधिक है, यह मैं मानता हूं और दूसरे खंड में इन्हें अस्वीकारात्मक कहा गया है और वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न रोजगार उन्मुख योजनाओं के माध्यम से फैशन और सिलाई के अंतर्गत 286 केन्द्र के माध्यम से 31,906 प्रशिक्षार्थी, ओटोमोबाइल के अंतर्गत और 16 केन्द्र के माध्यम से 1596 प्रशिक्षार्थी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्तर्गत 123 केन्द्र के माध्यम से 16,579 प्रशिक्षार्थी, हेल्थ केयर के अन्तर्गत 189 केन्द्रों के माध्यम से 21,843 प्रशिक्षार्थी बढ़ई कोर्स हेतु 1 केन्द्र के माध्यम से 150 प्रशिक्षार्थी और नाई हेतु 55 केन्द्र के माध्यम से 4247 प्रशिक्षार्थी का नामांकन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया है।

खंड–3 में इनका प्रश्न है, उसका उत्तर है कि बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में प्रखंड कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिसमें बेहतर संचालन एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं को और वृहद स्वरूप के उद्देश्य को दृष्टिगोचर रखते हुए इस योजना को लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है ।

टर्न–3/पुलकित/21.07.2026

श्री देवेशकान्त सिंह : माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सभी प्रखंडों में है । मैं अपने विधान सभा का ही संज्ञान आपको करा दूँ। मेरे विधान सभा में तीन प्रखंड हैं। कहीं कोई प्रशिक्षण का कार्य नहीं चल रहा है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा कि जितना बड़ा विचार है, मंत्री जी इसमें सक्षम हैं और जो आपका जवाब है मैं उससे संतुष्ट हूँ। तीसरे खंड के उत्तर में संतुष्ट हूँ भी। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि यह जो हो रहा है, वह थोड़ा और विस्तार हो।

अध्यक्ष : पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं और आपके विधानसभा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पूरे बिहार के लिए हो रहा है और आपके विधान सभा पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, पूरे राज्य पैमाने पर इसकी अपने स्तर से मॉनिटरिंग की जाए। कहीं भी कौशल विकास मिशन का जो काम है, वह धरातल पर नहीं दिख रहा है। अपने स्तर से महोदय, अपने विधान सभा के स्तर से कमिटी बनाकर धरातल पर इसकी जाँच कराई जाए।

अध्यक्ष : हम दिखवा लेते हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, हम इसको दिखवा भी लेते हैं और यह बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाधीन है । इसलिए तत्काल माननीय सदस्य का कहना सही हो सकता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–6, श्री राजू तिवारी (क्षेत्र सं0–14, गोविन्दगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में आधुनिक एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ICT@School कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में BOOT Model के तहत चयनित संस्था द्वारा 5 (पाँच) वर्षों के लिए कम्प्यूटर BSEIDC के माध्यम से लगाये गये थे । वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत कम्प्यूटर संबंधित विद्यालयों को सौंप दिया गया । शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में विद्यालयों में कम्पोजिट ग्रांट के तहत विद्यालयों को रखरखाव/मरम्मती हेतु राशि स्वीकृत की जाती है ।

अध्यक्ष : उत्तर प्राप्त है, पूरक पूछिये ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कॉलेजों में कंप्यूटर लगे हुए, पड़े हुए हैं। वहां जाने के बाद देखने पर

मतलब पीड़ा होती है कि एकदम उसके ऊपर लगता है कि धूल एक–डेढ़ परत जमा हो गयी है और मतलब कबाड़खाना में बदल गया है । और सरकार 2012–13 में जैसा कि जवाब में आया है कि BSEIDC के तहत, यह आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजना में पैसा खर्चा किया गया, लेकिन हम मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि वह योजना समाप्त हो गई है तो एकदम उसको पुनः चालू कराया जाए। क्योंकि आज के डेट में अब तो हम सदन में यह भी चाहेंगे ए0आई0 का भी बढ़ावा स्कूल–कॉलेजों में और डिग्री कॉलेजों में होना चाहिए। यह जो पुरानी योजना है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम है, इस तरह देखने से मतलब हमको देखने पर एकदम पीड़ा हो रही है। उसको चलाने के लिए क्या कोई योजना है अभी तत्काल में माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता एकदम जायज है। यह योजना 2012–13 की स्वीकृत योजना है और बूट मॉडल की तरह इसको चलाया गया था बी0एस0ई0आई0डी0सी0 के माध्यम से यह कराया गया था। महोदय, यह बात सही है कि बहुत सारे विद्यालयों में कंप्यूटर ले जाकर रख दिए गए, इसकी मैंने भी जाँच करा करके और इसकी रिपोर्ट माँगी है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब मॉडल स्कूल का उद्‌घाटन कर रहे थे बेगूसराय में और उसके एक एक दिन पहले, दो दिन पहले, यहाँ शास्त्री नगर में जो कन्या महाविद्यालय है, वहाँ से जब जाकर उन्होंने पटना के 10 स्कूलों सहित 150 हाई स्कूलों में जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की, तो उन्होंने हमारे विभाग को निर्देशित किया कि 15 अगस्त तक जितने भी बिहार के विद्यालय हैं, जहाँ कंप्यूटर रखे गए हैं, उसको पूरी तरह से चालू करना है। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में यह योजना प्रारंभ कर दी जाएगी।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दिया जाए । यह योजना जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, कंप्यूटर लगा है, लेकिन यह सत्य है कि कंप्यूटर सिर्फ स्कूलों में लगा है, लेकिन एक भी दिन उसका उपयोग नहीं हुआ है तो क्या माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि वह जाँच कराकर और जो इसमें अनियमितता दिखी है, इसमें कार्रवाई करना चाहेंगे?

अध्यक्ष : जाँच करा दीजिए ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व में ही कहा कि हमने इसका पूरा आकलन करा लिया है और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यह योजना भारत सरकार से उस समय बिहार सरकार ने आग्रह किया था कि उस

योजना को भारत सरकार शामिल कर ले, लेकिन भारत सरकार किसी दूसरे योजना पर काम कर रही थी। और अब कल ही और परसों दो दिन भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की बुलाई गई है, मैं भी उसमें जा रहा हूँ । और आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वह करते हैं। 15 अगस्त तक जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी होगा इसके लिए, उस पर कार्रवाई भी करेंगे और 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में आपको डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हम आगे बढ़ गये हैं । आप लिखकर दे दीजिए ।

श्री आनंद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो प्रयास...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य से आग्रह है कि विषय आगे बढ़ गया है । आप विषय लिखकर दे दीजिए । हम करवा देंगे ।

श्री आनंद मिश्र : धन्यवाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–7, श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र सं0–187, मनेर)

अध्यक्ष : यह प्रश्न भाई बिरेंद्र जी का है उन्होंने श्री आलोक कुमार मेहता जी को प्राधिकृत किया है । माननीय सदस्य अभी सदन में नहीं है, उनका प्रश्न कार्रवाई करने के संबंध में है ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपका नियमन हो गया है, हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे ।

अध्यक्ष : वह प्रश्न तो हो गया । एक प्रश्न माननीय सदस्य श्री भाई बिरेंद्र जी का है, वह सदन में नहीं है । अल्पसूचित प्रश्न सं0–7 है । श्री आलोक कुमार मेहता जी को प्राधिकृत किया है ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अंश 'क' अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–394, दिनांक–28.08.2019 के क्रम में विभागीय ज्ञापांक–2081, दिनांक–09.10.2024 निर्गत है । जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को संबोधित है कि विद्यालय/शैक्षणिक सस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी शिक्षण/कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान (Formal Dress) में ही विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का प्रावधान है । पुनः विभागीय पत्रांक–1485, दिनांक–20.07.2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को स्मारित किया गया है । यदि शिक्षकों द्वारा यूनिफॉर्म कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट लिखा है, जवाब दिया है कि 2019 में योजना बनी और वह योजना 2024 में नोटिफाई की गई।

वर्ष 2026 में उसका रिमाइंडर गया। यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य लगभग 40 उच्च विद्यालयों के अध्यक्ष उनकी प्रबंध कमिटी के हैं। सभी लोग यह जानते होंगे और मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन कर आते हैं? महोदय, हाथ उठाकर पूछवा लिया जाए 100 प्रतिशत यह जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। यह जो विधि–सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि–सम्मत कार्रवाई हो सकती है? और क्या अभी तक की गई? इतने दिनों में विधि–सम्मत कार्रवाई क्या की गई? जब दो साल के गैप पर आप रिमाइंडर दे रहे हैं और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो सरकार क्या करना चाह रही है और क्या कैसे इसको सुनिश्चित करेगी?

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, हमने तो स्पष्ट बताया कि 2019 में इस प्रकार का पत्र विभाग ने निकाला था और हमने कल ही फिर से इसके लिए स्मारित किया है। और अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना हमें देंगे, तो हम उसकी जाँच कराकर 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय मंत्री जी भी अध्यक्ष होंगे या उनके जो प्रतिनिधि होंगे, उनसे पूछ लिया जाए ।

अध्यक्ष : 48 घंटे में कार्रवाई का कहा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : कि किस विद्यालय में यूनिफॉर्म पहन के शिक्षक आते हैं? बिहार के किसी विद्यालय में...

अध्यक्ष : आलोक बाबू, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे, बैठ जाइए।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, 48 घंटे के अंदर करवा दिया जाए।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आलोक मेहता जी पूछ रहे थे कि कोई शिक्षक यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं कि नहीं । प्रश्न जो है भाई बिरेंद्र जी का, और मिथिलेश तिवारी जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें फर्क देखिए। छात्रों में और शिक्षकों के ड्रेस कोड में फर्क है। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म है और शिक्षकों के लिए सिर्फ गरिमापूर्ण पोशाक है। उनका यूनिफॉर्म नहीं है। उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट–शर्ट मतलब वह डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमामय पोशाक पहनकर शिक्षक को शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए। उनका कोई यूनिफॉर्म डिफाइंड नहीं है।

<u>तारांकित प्रश्न</u>

<u>तारांकित प्रश्न सं0–01, श्री आसिफ अहमद (क्षेत्र सं0–35, बिस्फी)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आसिफ अहमद जी का प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हो गया है ।

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक ।

आज की तिथि में मैथिली अकादमी पूर्व की प्रशासनिक संरचना के अंदर कार्य कर रही है । राज्य सरकार द्वारा मैथिली अकादमी के साथ–साथ अन्य भाषायी अकादमियों के विकास एवं संवर्द्धन हेतु एकीकृत व्यवस्था लागू करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

माननीय सदस्य डॉ0 रामानन्द यादव जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यूनिफॉर्म कोड शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए जारी किया गया है । इसका पत्रांक देखा जाए ।

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सब बात को गोलमटोल करके कहा है, अभी हमारे साथी यहाँ बोले थे, शिक्षा मंत्री जी बता दिए कि खजाना खाली है और उसके लिए दोनों आदमी जान रहे हैं शिक्षा मंत्री जी और माननीय सदस्य । इसलिए उन्हीं लोगों में फरिया लेने के लिए उन्होंने कहा।

अध्यक्ष : अब हो गया, प्लीज बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आलोक जी, हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। माननीय मंत्री जी ने भाई बिरेंद्र जी के प्रश्न में जो जवाब दिया है, वह आपके भी टैब की स्क्रीन पर है उसे भी देख लीजिए और जो छपा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए कि शिक्षकों के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। उनको है कि गरिमामय पोशाक पहनना चाहिए। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म और गरिमामय पोशाक में फर्क होता है। यूनिफॉर्म में कलर कोड डिफाइंड रहता है, पैंट का कलर, शर्ट का कलर, स्कर्ट का कलर। और गरिमामय पोशाक में है कि कोई उत्तेजक वस्त्र धारण करके शिक्षक नहीं जायेंगे। सरकार की मंशा यह साफ है कि शिक्षक का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए और उसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों–छात्राओं पर पड़ना चाहिए। सरकार की मंशा यही है।

टर्न–4 / हेमन्त / 21.07.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–02, डॉ0 रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या–185, फतुहा)

(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा विधान सभा क्षेत्र–185 के फतुहा प्रखंड में स्थित पाँचों विद्यालय मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, दौलतपुर

का नया भवन 2024 में निर्मित हो चुका है। जिसमें 13 कमरा, शौचालय एवं पेयजल, चहारदीवारी सहित नवनिर्मित है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कोल्हर– वर्तमान में यह विद्यालय मध्य विद्यालय, कोल्हर के दो कमरे में संचालित हो रहा है। उक्त विद्यालय के लिए एक एकड़ तीन डिसमिल भूमि उपलब्ध है, जिसके भवन निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक BSEIDC से जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–2007, दिनांक–20.06.2020 एवं पत्रांक 2521, दिनांक– 16.07.2026 द्वारा अनुरोध किया गया है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, बुद्धूचक– वर्तमान समय में यह मध्य विद्यालय बुद्धूचक के 05 कमरे में संचालित हो रहा है।

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, बुद्धूचक को अपना भूमि उपलब्ध नहीं है। जिसके लिए अंचलाधिकारी, फतुहा से भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 9470, दिनांक 16.07.2026 द्वारा अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण BSEIDC के माध्यम से कराया जाएगा।

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, रसलपुर – वर्तमान में यह विद्यालय मध्य विद्यालय, रसलपुर के 07 कमरों में संचालित हो रहा है। मध्य विद्यालय, रसलपुर के प्रांगण में ही मध्य विद्यालय के भवन के अतिरिक्त लगभग 14 कट्ठा भूमि उपलब्ध है। जिसमें चहारदीवारी निर्मित है। इस विद्यालय के लिए कार्यालय एवं 13 वर्गकक्ष, शौचालय आदि का निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक BSEIDC से अनुरोध किया गया है।

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, मौजीपुर– वर्तमान में मध्य विद्यालय, मौजीपुर के 05 कमरों में संचालित हो रहा है। यह विद्यालय भूमिहीन है। भूमि उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी, फतुहा से पत्राचार किया गया है।

उपरोक्त विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध होने के उपरांत शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

डॉ0 रामानन्द यादव : महोदय, उत्तर प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र में पांच हाई स्कूल 2016 में उत्क्रमित हुआ था। 16 में उत्क्रमित होने के बाद दौलतपुर हाई स्कूल का निर्माण किया गया। बाकी कोल्हर, बुद्धुचक, रसलपुर, मोजेपुर में अभी तक उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा।

श्री आसिफ अहमद : महोदय, हमारा एक तारांकित प्रश्न था।

अध्यक्ष : वह ट्रांसफर हो गया है उच्च शिक्षा विभाग में।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, यह प्रश्न पढ़ा जाय। महोदय, यह उच्च विद्यालय से संबंधित है।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री, शिक्षा।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, वह मेरे पास आयेगा, तभी तो हम जवाब दे पायेंगे। समय दे दिया जाय।

अध्यक्ष : अगली बार हो जायेगा। जवाब मिल जायेगा।

डॉ0 रामानन्द यादव : महोदय, जवाब आया हुआ है।

अध्यक्ष : जवाब आया हुआ है। दिखवा लीजिए।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य पूरक पूछ लें, तो हम बता देंगे।

अध्यक्ष : इन्होंने पूरक पूछ लिया है। एक विद्यालय का हो चुका है, बाकी का नहीं हुआ है।

डॉ0 रामानन्द यादव : महोदय, 2016 में उत्क्रमित हुआ और आज 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में निर्माण नहीं हुआ है। पठन–पाठन में छात्र–छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 10 साल तो हो गये और कितने साल में विद्यालय का निर्माण किया जायेगा।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, शीघ्र करा देंगे।

अध्यक्ष : चालू वित्तीय वर्ष में करा दीजिए।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, तुरंत करा देंगे। शीघ्र उसका बजट बनवाकर करा देंगे।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–03, श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या–143, तेघड़ा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक।

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्रांक–1626, दिनांक–16.07. 2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड अन्तर्गत संचालित मध्य विद्यालय मसनदपुर बीहट से निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीय वैदेही बल्लभ बालिका+2 विद्यालय की दूरी मात्र 03 कि०मी० है। उक्त विद्यालय के निकटतम राजकीयकृत उत्क्रमित विद्यालय मध्य विद्यालय, हाजीपुर एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेमकरणपुर है।

2. प्रखण्ड–तेघड़ा स्थित लालो चंपा जगती मध्य विद्यालय, बरौनी के उत्क्रमण के संबंध में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय कमिटी का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उत्क्रमण पर विचार किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के आलोक में उच्च विद्यालय विहीन पंचायतों में अर्हताधारी किसी एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित किये जाने का प्रावधान है, परंतु मध्य विद्यालय बारो, प्रखण्ड–बरौनी (नगर परिषद, बीहट) में अवस्थित है। छात्र संख्या/विद्यालय की दूरी एवं भूमि की उपलब्धता पर आवश्यकता के अनुसार विभागीय प्रावधान में संशोधन करने की कार्रवाई की जायेगी।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरा सवाल महोदय, मध्य विद्यालय मसनदपुर, बीहट, लालो, चंपा, जगती, मध्य विद्यालय, बरौनी और मध्य विद्यालय बारो, प्रखंड बरौनी, जो 1875 में ये बारो मध्य विद्यालय की स्थापना हुई थी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रारंभिक पाठशाला रही है और ये तीन विद्यालय की ही नहीं, पूरे ये विधानसभा के अलावा, जिला और मुझे लगता है पूरे राज्य भर में ऐसे विद्यालय जो नगर परिषद क्षेत्र के अंदर हैं। जब सरकार ने उस समय के माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2019–20 में हर एक पंचायत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। काम भी हुआ, लेकिन उसमें ऐसे विद्यालय इसलिए छूट गए, क्योंकि ये नगर परिषद के पार्ट थे महोदय और जिन पंचायतों को बाद में नगर निकाय क्षेत्र में समाहित किया गया। उनमें पढ़ने वाले ऐसे विद्यालयों के उत्क्रमण करने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। परिणाम यह हुआ कि आज ऐसे विद्यालय जिसकी चर्चा में तीन विद्यालय की मैंने की है और भी विद्यालय ऐसे होंगे राज्य में जिनके पास भूमि है, भवन है, लेकिन उनको हाई स्कूल या प्लस टू में उत्क्रमण नहीं किया गया, जिसके कारण वहां आसपास के छात्र–छात्राओं को बड़ी कठिनाई है। सरकार अभी प्रत्येक प्रखंड में...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री रजनीश कुमार : डिग्री महाविद्यालय खोल रही है। लेकिन पांच–पांच किलोमीटर हाई स्कूली शिक्षा के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री रजनीश कुमार : और ये तीन विद्यालय के लिए मैंने प्रश्न किया। महोदय, जिला से भी इसके लिए प्रस्ताव कई बार आया। कहा कि जिला में नहीं हो सकता है, राज्य सरकार इसके लिए और उत्तर में भी महोदय दिया हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार विभागीय प्रावधान में संशोधन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो बार–बार यह हो रहा है और पहले भी पूर्व के हमारे विधायक जो वहां के थे, विधानसभा में भी यह सवाल उठाया।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, कब होगा, कब ऐसा प्रावधान बनेगा कि ऐसे विद्यालयों को उत्क्रमित किया जाए।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, यह बात सही है कि राज्य सरकार के संकल्प के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक हाई स्कूल की व्यवस्था पहले से है। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है, वहां के लिए संकल्प अभी तक विभाग में किन्ही कारणों से नहीं तैयार हो पाया था। माननीय सदस्य के प्रश्न आने के बाद हमने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और उसके लिए हमने प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। जैसे ही प्रस्ताव आएगा, उस

प्रस्ताव को कैबिनेट ले जाकर स्वीकृत कराएंगे और उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई करके उसको बनवाएंगे।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, यह पूरे बिहार का विषय है और महोदय, यह विषय बार–बार उठा है। यह विषय, इसी सदन में यह सवाल पहले भी उठा है महोदय और यह गंभीर इसलिए हो जाता है कि हमारी सरकार अभी प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोल रही है और हाई स्कूल चार–चार, पांच–पांच किलोमीटर पर अगर नहीं हो और नगर में नहीं हो, तो महोदय, यह दुर्भाग्य है। माननीय मंत्री जी ने संवेदनशीलता से लिया है और कहा है कि इस पर संकल्प लाएंगे। कब तक लाएंगे महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। ताकि इसका समाधान हो सके।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, हमने दो बातें स्पष्ट कही हैं और यह संज्ञान में सबको लेने की जरूरत है। जहां ग्राम पंचायत है, वहां पूरी स्पष्टता है। लेकिन कई ऐसे नगर पंचायत हैं, जहां संख्या बढ़ जाने के कारण और वहां विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, नगर निगम भी, नगरीय क्षेत्र मैंने कहा और इसके अलावे जो मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं, वहां भी अतिरिक्त कमरों की जरूरत है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि अति शीघ्र, चूंकि उसके लिए प्रावधान करना होगा, नया संकल्प लाना होगा और उसको हम ले आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आज यह विषय आ ही गया, तो जल्दी ही इस पर हम लोग कर लेंगे और बाकी जो आपकी चिंता है, वह सरकार की भी चिंता है कि विद्यार्थियों को दूर न जाना पड़े। जो व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में है, वह नगरीय क्षेत्र में भी हम शीघ्र करेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–04, श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या–205, भभुआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि भभुआ प्रखंड के डिहरा पंचायत के ग्राम बरिगांवां में प्राथमिक विद्यालय बरिगांवां, कैमूर स्वीकृत है। भवनहीन रहने के कारण उक्त विद्यालय को मध्य विद्यालय भरिगावां, कैमूर में टैग कर संचालित किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालय भरिगावां को भूमि उपलब्ध हो गयी है।

निधि उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कार्य करा लिया जायेगा।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बरिगांवां में भवन विहीन होने के कारण उसको बरिगांवां मध्य विद्यालय में टैग करके संचालित किया जा रहा है। मेरा कहना है कि जब जमीन वहां उपलब्ध है, तो माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वहां विद्यालय बनवा दिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, हमने स्पष्ट उत्तर दिया है। फिर भी माननीय सदस्य ने आग्रह किया है, तो प्राथमिकता के आधार पर उसका निर्माण हम करा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या–05, श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या–207, चेनारी, (अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, मंत्री : राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति की आबादी 50000 से अधिक है तथा वर्तमान में डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उस प्रखंड में 720 आसन वाले डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं निर्माण का प्रावधान किया गया है।

चेनारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रोहतास प्रखंड में डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, नागाटोली एवं डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, बुधुआ संचालित है।

वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चेनारी प्रखंड में अनुसूचित जाति की आबादी 1976 एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी 1026 है, जो अर्हता के अन्तर्गत नहीं है।

अतएव प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : जी महोदय।

अध्यक्ष महोदय, हमने अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की मांग की है और जवाब में आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 50 हजार की आबादी जहां है, वहां 720 आसन वाले डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो पहाड़ी एरिया है, मात्र वहां दो पंचायत टच करती है। रोहतास और नवहट्टा में, माननीय मंत्री महोदय के अनुसार जो जवाब आया, वहां दो आवासीय विद्यालय हैं नागा टोली और बुधुआ में। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा आबादी नीचे है। चारों प्रखण्ड को अगर हम देखें, चेनाड़ी, शिवसागर, रोहतास, नवहट्टा, सबसे ज्यादा आबादी नीचे है। दस–दस पंचायत नीचे हैं, लेकिन नीचे में कहीं भी कोई आवासीय विद्यालय नहीं है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ कि नीचे में भी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, मंत्री : राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में 2011 की जनगणना के अनुसार जिस प्रखण्ड में अनुसूचित जाति समाज की संख्या 50,000 से अधिक होगी, उस प्रखण्ड में ही अम्बेडकर आवासीय विद्यालय

खोलने का प्रावधान है और इसके तहत रोहतास प्रखण्ड में, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसमें रोहतास और चेनारी प्रखण्ड की चर्चा की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास प्रखण्ड में ऑलरेडी 10+2 विद्यालय संचालित है और चेनारी प्रखण्ड में आपने माँग की है। चेनारी प्रखण्ड में अनुसूचित जाति की आबादी 1976 है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1026 है। जो 50,000 की अर्हता है, उससे बहुत कम है। इसलिए चेनारी में कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, उसमें प्रस्ताव विचाराधीन है। आगे अगर जनसंख्या उसकी पूरी होती है, तो जिस प्रकार आपके रोहतास प्रखण्ड में 50,000 के आबादी पर 10+2 विद्यालय है, वह आपके वहाँ भी खोला जाएगा।

टर्न–5/संगीता/21.07.2026

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, जो आबादी की बात की जा रही है कि चेनारी में कम है, 1300 या कुछ दिखलाया गया है, 1026 अनुसूचित जनजाति की आबादी, आज के डेट में वर्ष–2011 की जनगणना के अनुसार दिखलाया गया है, लेकिन आज हमलोग वर्ष 2026 में है और आज मुझे लगता है कि 40 हजार से ऊपर हमारे चेनारी में और बगल के प्रखंड जो शिवसागर है, वहां भी 45 हजार की आबादी है और रोहतास प्रखंड में आज भी अगर हम देखें तो वहां 50 हजार की आबादी नहीं है और जहां पर बनायी गयी है पहाड़ पर सुदूर ऊपर, महोदय वहां सिर्फ 15 से 20 गांव अवस्थित हैं तो वहां बनायी गयी है । अगर नीचे बनती है तो नीचे के भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आवासीय विद्यालय में सुविधा प्राप्त हो सकती है तो चेनारी में बनाया जा सकता है, वहां आबादी है ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह जायज है, हम भी चिन्तित हैं । जनगणना की रिपोर्ट ज्योंही अभी आएगी 2023 वाला, उस आधार पर आपके यहां भी प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता ।

तारांकित प्रश्न सं0–06, श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या–134, उजियारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : खंड–1 –वस्तुस्थिति यह है कि दयानंद विद्यालय +2, मीठापुर, पटना के बायलॉज में स्थापनाकाल एवं इसके बाद भी दान देकर दानदाता सदस्य का प्रावधान किया गया है । दयानंद विद्यालय +2, मीठापुर, पटना के विद्यालय प्रबंध समिति का गठन संबंधी लंबे समय से विवादास्पद रहा है । अंकनीय है कि विद्यालय में उभय पक्षों के द्वारा कमिटी के गठन के संबंध

में आरोप–प्रत्यारोप लगाया जाता रहा है । अतः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को विद्यालय के बायलॉज में प्राप्त अधिकार के आलोक में विभागीय पत्रांक–2901, दिनांक–01.12.2025 के द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को उनके प्रतिनिध के रूप में अपनी उपस्थिति में विद्यालय के बायलॉज के अनुसार प्रबंध समिति गठन करने हेतु निदेशित किया गया।

उक्त के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–94, दिनांक–01.04.2026 द्वारा विद्यालय के बायलॉज में वर्णित प्रावधान के आलोक में विद्यालय में कमिटी का गठन किया गया है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हो चुका है । धन्यवाद ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत दिया हुआ है चूंकि जो जमीनदाता रहता है वह मेंबर होता है न कि उसके जगह पर दूसरा होता है । यह जो प्रश्न है इसका जवाब गलत है महोदय ।

अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि जो जमीनदाता है वह सदस्य होना चाहिए, वह न बनके कोई दूसरा बना हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसको दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, दिखवा लीजिए । श्री अभिषेक रंजन ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–07, श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या–07, चनपटिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : खंड–1 –स्वीकारात्मक ।

खंड–2 –आंशिक स्वीकारात्मक ।

खंड–3 –वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत 43 बुनियादी विद्यालयों में 04 बुनियादी विद्यालय, गिद्दा, रानीपुर, मठिया बकुचिया एवं लोहियरिया में आंशिक रूप से भूमि का अतिक्रमण है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्रांक–787 दिनांक–17.07.2026 द्वारा अंचलाधिकारी, चनपटिया से अनुरोध किया गया है, साथ ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक रूप से जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी अंचल अधिकारी को विद्यालय की भूमि अतिक्रमण के संबंध में समीक्षा कर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निदेशित किया जा रहा है । उक्त जिलान्तर्गत 02 बुनियादी विद्यालय, घोघा बाजार एवं खरदेउर में क्रमशः 05 कमरे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं 02 कमरे क्षतिग्रस्त अवस्था में है ।

निधि उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उक्त जीर्णोद्धार/मरम्मति कार्य करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है, अगर उनका कोई पूरक है तो पूछ लें ।

अध्यक्ष : आप उत्तर पढ़ दीजिए मंत्री जी ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : खंड–1 –स्वीकारात्मक ।

खंड–2 –आंशिक स्वीकारात्मक ।

खंड–3 –वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत 43 बुनियादी विद्यालयों में 04 बुनियादी विद्यालय, गिद्दा, रानीपुर, मठिया बकुचिया एवं लोहियरिया में आंशित रूप से भूमि का अतिक्रमण है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्रांक–787 दिनांक–17.07.2026 द्वारा अंचलाधिकारी, चनपटिया से अनुरोध किया गया है, साथ ही जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में साप्ताहिक रूप से जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी अंचल अधिकारी को विद्यालय की भूमि अतिक्रमण के संबंध में समीक्षा कर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निदेशित किया जा रहा है । उक्त जिलान्तर्गत 02 बुनियादी विद्यालय, घोघा बाजार एवं खरदेउर में क्रमशः 05 कमरे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं 02 कमरे क्षतिग्रस्त अवस्था में है ।

निधि उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उक्त जीर्णोद्धार/मरम्मति कार्य करा लिया जायेगा ।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक पूरक यह होगा कि जैसे कि सरकार मान भी रही है कि विद्यालयों में अतिक्रमण हुआ है तो यह गांधी जी की कल्पना थी और 391 जो बुनियादी विद्यालय स्थापित किए गए हैं उसमें चंपारण में ही 43 विद्यालयों की स्थापना हुई और प्रत्येक बुनियादी विद्यालयों में बेसिक ग्रेड के 03 और स्नातक ग्रेड के 02 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद पदों पर पर्याप्त नियुक्तियां नहीं की गईं तो मेरा सरकार और मंत्री जी से यह सवाल होगा पूरक के रूप में कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में जो 391 बुनियादी विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षक पदों के विरूद्ध में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है उसमें यह है कि इन्हें वहां कुछ शिक्षक और चाहिए, जहां भी कमी है उसको करेंगे हमलोग ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो जानकारी चाह रहे हैं आप कृपया उपलब्ध करवा दीजिएगा बाद में ।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि बुनियादी विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता करा दी जाएगी । सर, आपको हम एक डाटा देना चाहेंगे कि किसी भी विद्यालय में चाहे हायर सेकेंड्री स्कूल हो, हाई स्कूल हो या

मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में सब्जेक्टवाइज टीचर अवेलेवल नहीं है तो उसका भी हम चाहेंगे कि मंत्री जी दिखवा लें किसी एक का, लास्ट सेशन में बजट सेशन में पी0एम0श्री हाई स्कूल चनपटिया का भी मामला उठाया गया था, जिसमें 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और एक म्यूजिकल टीचर के भरोसे हायर सेकेंड्री की पढ़ाई हो रही है और अभी तक क्वेश्चन उठाने के बाद भी वहां पर टीचर का अपायंटमेंट नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : सारी बातों को दिखवाकर मिथिलेश बाबू कार्रवाई कराइए ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व एक लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हमलोग इसी महीने टी0आर0ई0–4 की अधियाचना भेजने वाले हैं । लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में 63 हजार 47 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं, उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की और इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ टी0आर0ई0–4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रमाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है, वह जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है । बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हमलोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पायेंगे । इसको लेकर सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं, वे इस बार टी0आर0ई0–4 होते ही समाप्त हो जाएंगी ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि मंत्री जी ने अभी बताया कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की बहाली अधिक हो रही है जबकि सच्चाई यह है कि जो ग्रामीण परिवेश में सरकार का नीतिगत फैसला था कि 2 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय यदि नहीं है तो नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी लेकिन जमीन अभाव के कारण विद्यालय खुले नहीं । बिहार सरकार ने नए विद्यालय को पुराने प्राथमिक विद्यालय में टैग कर दिया, जिस कारण मंत्री जी के पास शिक्षकों की संख्या अधिक है । अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा और मुख्यमंत्री जी इसपर स्वयं विचार करें कि जो ग्रामीण परिवेश में जिस भी विद्यालय में चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, प्लस टू विद्यालय हो, जहां जमीन के अभाव में 2 कमरे में हाई स्कूल चल रहे हैं, मिडिल स्कूल चल रहे हैं, सरकार जमीन अधिग्रहण कर वहां नए विद्यालय की स्थापना करे, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसमें नीतिगत फैसला लेना ही चाहिए । अब 2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि बहला रहे हैं । हमारे यहां का मामला है और ऐसे कई विद्यालय हैं, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, खूब संजीदगी के साथ इस पर विचार हो । हम स्कूल का 77 हजार करोड़ का शिक्षा का बजट बना सकते हैं, हम जमीन खरीदकर विद्यालय क्यों नहीं बना सकते हैं ? हमारी प्रायोरिटी क्या है आखिर सरकार की ? शिक्षा विभाग के अंदर हम जमीन खरीदकर स्कूल क्यों नहीं बना सकते हैं ? सरकार बजट में प्रावधान करे और ऐसे स्कूल को चिन्हित करके 2 शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है, छह–छह सौ बच्चे पढ़ रहे हैं वहां इसलिए इसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए इसपर तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–08, श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या–135, मोरवा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : खंड–1 –वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–1648, दिनांक–27.08.2015 के आलोक में मध्य विद्यालय रजवा का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में करते हुए वर्ष 2016–17 में शैक्षणिक गतिविधि मध्य विद्यालय के परिसर में प्रारंभ की गयी । वर्तमान में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या–176 एवं पदस्थापित शिक्षकों की संख्या–14 है । इस उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल–07 कमरे हैं । प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ताजपुर के द्वारा पत्रांक–387, दिनांक–17.07.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त विद्यालय के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है । इसके आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, समस्तीपुर के पत्रांक–1606, दिनांक–18.07.2026 के द्वारा अंचलाधिकारी, ताजपुर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होने के पश्चात नियमानुसार निविदा उपरांत निधि की उपलब्धता की स्थिति में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

खंड–2 – वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–1648, दिनांक–27.08.2015 के आलोक में मध्य विद्यालय फतेहपुर का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में करते हुए वर्ष 2016–17 में शैक्षणिक गतिविधि मध्य विद्यालय के परिसर में प्रारंभ की गयी । वर्तमान में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या–447 एवं पदस्थापित शिक्षकों की संख्या–27 है । इस उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल–16 कमरे हैं । प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ताजपुर के द्वारा पत्रांक–387, दिनांक–17.07.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त विद्यालय के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है । इसके आलोक में

उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, समस्तीपुर के पत्रांक–1606, दिनांक–18.07.2026 के द्वारा अंचलाधिकारी, ताजपुर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होने के पश्चात नियमानुसार निविदा उपरांत निधि की उपलब्धता की स्थिति में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

खंड–3 – इसका उत्तर उपरोक्त कंडिका में सन्निहित है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री रणविजय साहू : पूछता हूं महोदय । उत्तर प्राप्त हुआ है, उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भवन नहीं है और 175 छात्र उच्च विद्यालय में है । वही सवाल महोदय, सरकार तो आनन–फानन में बिहार के सभी विद्यालयों को अपग्रेड कर दी लेकिन कहीं बुनियादी ढांचा नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं, भवन नहीं और हमारे यहां तो बच्चे नीचे बैठकर पढ़ते हैं तो हम यही कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम अंचलाधिकारी से जमीन के लिए बात करेंगे, यह रजवा का मामला है लेकिन हम माननीय मंत्री जी को संज्ञान में देना चाहते हैं कि विद्यालय से सटे हुए लगभग 3 बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है, यह ताजपुर के रजवा का मामला है । एक दूसरा विद्यालय का मामला है, फतेहपुर वाला में वहां 25 कट्ठा भूमि उपलब्ध है आखिर मंत्री जी क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं, वहां मंत्री जी लिख रहे हैं कि फिर अंचलाधिकारी से हम मांगते हैं, वहां तो भूमि है, वह मेरा क्षेत्र है, रात–दिन आते–जाते हैं वहां हम देख रहे हैं । आखिर इस प्रकार का जवाब क्यों आ रहा है माननीय महोदय ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न–6 / यानपति / 21.07.2026

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब हम तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से ही प्रस्ताव मांगेंगे। माननीय सदस्य से आग्रह है कि उनका क्षेत्र है और उनको मालूम है कि कहां सरकारी जमीन है, एक बार सी0ओ0 के माध्यम से प्रस्ताव भिजवा दें, उसको स्वीकृत करके बनवा देंगे।

श्री रणविजय साहू : सर, इसमें एक पूरक है, हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि ताजपुर के रजवा में जहां मैंने कहा कि तीन बीघा भूमि उपलब्ध है, समय–सीमा कब लेंगे, कबतक ये बनवा देंगे, फतेहपुर वाला में भी समय–सीमा क्या होगी, माननीय मंत्री जी, समय–सीमा में बांध दिया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत जी।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, हमलोग हाथ इसलिए उठा लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी जवान हैं और आप आगे नहीं बोलेंगे तो, थोड़ा नौजवान मुख्यमंत्री जी को बिहार के बारे में कुछ बताने का मौका मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने

कहा कि सी0ओ0 से रिपोर्ट मंगा लेते हैं, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बिहार के लगभग 40 प्रतिषत ऐसे स्कूल हैं जिसके भवन गिर गए हैं और उस स्कूल को बगल के गांवों में टैग कर दिया गया है। विभाग ने क्या कभी समीक्षा कराया कि बिहार के किस पंचायत के कौन से स्कूल के भवन गिर गए हैं, अगर गिर गए हैं तो उसको बनाने का हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हुजूर आप कम से कम किस गांव में कौन सा स्कूल गिरा है, किस गांव में पेड़ के नीचे बच्चे, जमीन रहते भी महोदय कई गांव में ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। तो पहले उसकी समीक्षा करनी चाहिए सरकार को और कहा इन्होंने महोदय कि जरूरत से ज्यादा टीचर हो गए हैं, हमने प्रष्न किया था महोदय कि तीसरा से छठा तक के बच्चे को ए,बी,सी.डी नहीं आ रहा है और माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि हम ये प्रषिक्षण दे रहे हैं, सवाल यह नहीं है कि कौन प्रषिक्षण दे रहे हैं, सवाल ये है कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक स्कूल में दो कमरे हैं जिसमें एक–एक हजार मैट्रिक के और एलेवन्थ के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो एजुकेषन में उसकी क्वालिटी में सुधार कहां से होगा, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि एक दिन पूरे बिहार के सभी माननीय सदस्यों को नीतीष जी ने याद होगा जल–जीवन–हरियाली के लिए सेंट्रल हॉल में बिहार के सभी विधायकों को बुलाकर कहा था कि मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए जल–जीवन–हरियाली की शुरूआत हो रही है, षिक्षा जगत के जीवन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को सेंट्रल हॉल में सभी माननीय विधायकों को बुलाकर के और समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर बिहार में गरीब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं।

अध्यक्ष : अजय बाबू, प्लीज बैठ जाइये, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं।

श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, पहले भी इस तरह की व्यवस्था जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पंचायतों में पंचायत के अंदर हाईस्कूल बनाने का निर्णय लिया था तो लगभग 600 से 700 विद्यालय ऐसे हैं जहांपर हमें उस समय जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, चिंता है, उस समय ये निर्णय हुआ कि जहांपर दो रूम भी है वहां तत्काल शुरू कर दें, पहले मैट्रिक की व्यवस्था की गई, बाद में उसको, इंटर की व्यवस्था की प्रक्रिया चली, ये जरूर कई माननीय सदस्यों ने इसकी चिंता जाहिर की, माननीय मंत्री इसकी समीक्षा कर लेंगे लेकिन इसके बावजूद जितनी भी जगह हाईस्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उसको छः महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : श्रीमती अनीता जी।

तारांकित प्रश्न संख्या–09 (श्रीमती अनीता, क्षेत्र संख्या–239, वारिसलीगंज)

श्रीमती अनीता : शुक्रिया सर, हमारा प्रश्न था, ऐंसर मुझे अबतक नहीं मिला है इसका कि नवादा जिला अंतर्गत वारिसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र दो कमरे हैं और कमरों की संख्या कम रहने के कारण वर्ग 1 से 5 तक के शैक्षणिक कार्यों में काफी परेशानी हो रही है वर्षों से सर, ये अभीतक मुझे इसका ऐंसर नहीं मिला है, मैं चाहूंगी कि सरकार जल्द से जल्द मेरा यह उत्तर दे, सरकार...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती अनीता : प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है तो कबतक ?

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो ऑलरेडी अपलोडेड है और माननीय सदस्या ने लगता है देखा नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आप ऑनलाईन उत्तर पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरक बनाने में सुविधा होगी। वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलांतर्गत वारिसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र दो कमरे हैं, विद्यालय में भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। विद्यालय सफीगंज ग्राम के सघन बसावट क्षेत्र में है, प्राथमिक विद्यालय सफीगंज के एक कि0मी0 की परिधि में मध्य विद्यालय मसूदा है एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लीलाबीघा संचालित है जिसमें कुल क्रियाशील कमरों की संख्या क्रमशः 11 एवं 8 है, उक्त पोषक क्षेत्र के छात्र–छात्राओं द्वारा मध्य विद्यालय मसूदा एवं मध्य विद्यालय लीलाबीघा में पठन–पाठन किया जाता है। महोदय, चूंकि जहां विद्यालय है वहां सघन आबादी है और वहां पर जमीन मिलना थोड़ा कठिन है, अगर माननीय सदस्या जमीन दिला देंगी तो आवष्यकतानुसार कमरा हमलोग और बढ़ा देंगे महोदय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार।

श्रीमती अनीता : सर, जमीन उपलब्ध हो जायेगी और फिर आगे की कार्रवाई आप जल्द से जल्द करेंगे, धन्यवाद सर।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, स्कूल का कमरा बनाना और जमीन उपलब्ध कराना दो अलग–अलग चीजें हैं, जहां पर जमीन है वहां भी कमरों की संख्या बहुत कम है और छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। जहां जमीन नहीं है, आप सी0ओ0 से रिपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सरकार की जमीन है वह चौर में बची हुई है अब उपरवार में जमीन बहुत कम है। विद्यालय के अगल–बगल नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार विद्यालय के बगल में जमीन अधिग्रहण करके विद्यालय में भवन बनवाना चाहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेषन जो है उसके माध्यम से उसको या कोई तुगलकी फरमान होता रहा है कभी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाता है कि आप बनाइये,

कभी बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है कि आप बनाइये तो इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि जिम्मेदारी स्थापित नहीं हो रही है। इसलिए क्या सरकार कोई ठोस कदम विद्यालय में कमरों को छात्रों की संख्या के अनुरूप बनाने और उसके अनुरूप जमीन अधिग्रहण करके विद्यालय का विस्तार करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, नहीं तो क्यों ?

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्या संतुष्ट हो गईं लेकिन माननीय सदस्य आलोक जी असंतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है, मैंने कहा कि आपका क्षेत्र है सहयोग करिए और हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से उस जमीन का प्रस्ताव मंगाकर और विद्यालय निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। अब मैंने पहले ही कहा कि भूमि विहीन और भवन विहीन ये दो तरह के विद्यालय बिहार में हैं जिसकी सूची हम मंगा रहे हैं और अगले एक सप्ताह में हमारे पास संपूर्ण बिहार की सूची आ जायेगी और प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों का निर्माण निधि की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार।

(व्यवधान)

सारी बात आ गई, बैठ जाइये। गुप्ता जी, आप बोलिए।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हर जगह स्कूल, हर जगह जमीन ही नहीं मिल रहा है सर, वनगांव में कलावती स्कूल है जहां से दर्जनों आई0ए0एस0 पैदा हुए हैं वह बिल्डिंग ढहकर पड़ा हुआ है, पैसा के...

अध्यक्ष : इससे संबंधित नहीं है। आप बताइये।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : नहीं बन रहा है। इसका क्या है मंत्री जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : गुप्ता जी, बैठ जाइये। यह विषय आपका है नहीं।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : 4–5 करोड़ रुपया सैंक्शन है वर्षों से, बिल्डिंग नहीं बन रहा है।

अध्यक्ष : आपका विषय नहीं आ रहा है।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : जमीन भी है वह बताइये मंत्री जी।

श्री अखतरूल ईमान : सर, बिहार में हजारों ऐसे स्कूल जो आबादी के अनुपात में वहां पर स्थापित किए गए थे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मौका दे रहे हैं।

श्री अखतरूल ईमान : लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में, क्या ऐसे मर्जर वाले तमामतर स्कूलों में भूमि उपलब्ध कराते हुए सरकार भवन निर्माण कराने का काम करना चाहती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब प्रष्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रष्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं लिये जायेंगे।

टर्न–7 / मुकुल / 21.07.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–21 जुलाई, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैंः–

श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0, श्री राहुल कुमार, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0 ।

श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 21 जुलाई, 2026 को सदन में राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत जी आप पढ़ लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के वित्तीय व्यवस्था सार्वजनिक धन का पारदर्शी उपयोग तथा वित्तीय अनुशासन, जनहित से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही के दिनों में विभिन्न विभागों, कर्मचारियों संवेदकों, शिक्षकों तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान में विलम्ब की शिकायत प्राप्त हुई है, इसी बीच यह जानकारी सार्वजनिक हुई कि आकस्मिक निधि से लगभग 3 हजार 6 सौ 62 करोड़ की राशि निकाली गयी । इस निधि के उपयोग की आवश्यकता, उद्‌देश्य, विधिक प्रतिक्रिया, वित्तीय प्रबंध को लेकर जन सामान्य में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है । साथ ही साथ इस संबंधित अधिनियम बिहार आकस्मिक निधि, 1950 की धारा–4, 4 (क) व 5 का उल्लंघन भी हुआ है । आकस्मिक निधि का उद्‌देश्य अप्रत्याशित, आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करना है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस निधि से राशि निकासी के कारणों समक्ष प्राधिकारियों की स्वीकृति, प्रचलित, वित्तीन नियमों के अनुपालन तथा बाद में विधायिकी स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से रखी जाए । इसी वित्तीय पारदर्शी, जवाबदेही तथा जन विश्वास और अधिक से अधिक होगा । अतः अनुरोध है कि 21.07.2026 के लिए निर्धारित समय कार्य–स्थगन के कर, राज्य के आकस्मिक निधि से राशि निकासी, उसके विधिक एवं वित्तीय आधार पर वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक धन की पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रबंधन जैसे अति लोक महत्व के विषय पर सदन में तत्काल चर्चा करायी जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण सिंह ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है आप पढ़िए ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, हाल में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली, 2026 को मंत्रिमंडल से स्वीकृति देकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न प्रकार के नये कर लगाने का निर्णय लिया गया है । सरकार के इस निर्णय के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पम्प, मैरेज हॉल, ईंट भट्टों आदि पर कर लगाया जायेगा । साथ ही सफाई शुल्क एवं जलापूर्ति शुल्क भी वसूला जायेगा । यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब ग्रामीण बिहार महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट और घटती आय से जूझ रहा है । एक ओर राज्य सरकार ग्रामीण जनता को पर्याप्त रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, नाली सफाई तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने विफल रही है, वहीं दूसरी ओर उनपर नये–नये करों का बोझ लादा जा रहा है, इससे लाखों गरीब, किसान, मजदूर, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ग्रामीण जीवन और अधिक कठिन हो जायेगा । यह मामला राज्य के करोड़ों ग्रामीण नागरिकों के जीवन एवं आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है । अतः सदन का समस्त कार्य स्थगित कर जनता पर थोंपे जा रहे इस टैक्स राज को वापस लेने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर तत्काल चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

<u>शून्यकाल</u>

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्या, श्रीमती छोटी कुमारी । पढ़िए ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्यगण अपने–अपने सीट पर खड़े हो गए)

आप सभी बैठ जाइये ।

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम क्षेत्र प्रभूनाथ नगर सहित कई इलाकों में हल्की वर्षा से जलजमाव, आवागमन बाधित और घर–दुकानों में पानी घुसनें से भारी नुकसान हो रहा है । अधूरे नाला–सड़क निर्माण और धीमी प्रगति से जनता परेशान है । सरकार तत्काल शीघ्र जल की निकासी, पूर्ण निर्माण सुनिश्चित करे ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ सहित विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने संज्ञान में ले लिया है, कोई बात नहीं होगी । कृपया आपलोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

संदीप बाबू, आपको बोलने का मौका दिया गया है, आपने अपनी बातों को पढ़ा है । इसका जवाब नहीं होता है, आपने पढ़ लिया है, सरकार ने आपकी बातों को सुना है । हमारा आपसे आग्रह होगा, इसको हमने अमान्य किया है, आपको पढ़ने का हमने अवसर दिया है और आपने पढ़ा लिया है और विषय को रख दिया है ।

(व्यवधान)

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया विधान सभा के कुदरा प्रखंड के नसेज गांव में जल–जमाव की स्थिति बनी हुई है । अतः सरकार से मांग करती हूं कि रोड और नाला का निर्माण करावे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कृपया आपलोग बैठ जाएं । मेरा आग्रह है, संदीप बाबू आपने अपनी बातों को रख दिया है, जाकर बैठ जाइये । प्लीज बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित गंगेश्वर स्थान (रतनपुर) के बंद एवं जर्जर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को पुनः चालू कर वहां आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की स्थापना, भवन का पुनर्निर्माण तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति किए जाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग। आप सभी इनकी बातों को सुन लीजिए, पहले बैठ जाइये । जब मंत्री खड़े हो गये हैं और आपकी बातों को रख रहे हैं तो आपलोग बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : हम आप ही की बातों को रख रहे हैं ।

अध्यक्ष : विजय बाबू, पहले इनको बैठ जाने दीजिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने सीट पर वापस चले गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यगण विपक्षी पार्टियों के जिस बात का हवाला देकर चर्चा कराने की बात कर रहे थे, आप इतना अवश्य आश्वस्त रहें और अवगत भी हैं पहले से कि अगर कुछ ऐसा फैसला होता है तो बिना सदन की सहमति या सदन में चर्चा के यह लागू हो ही नहीं सकता है । अगर कोई नया टैक्स लगाने की बात होती है तो सरकार विधिवत विधेयक लाती है और उस विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों का अधिकार होता है, संशोधन देने का, सदन को अधिकार होता है उसको खारिज करने का तो चर्चा तो होगी ही, आप चर्चा के लिए आश्वस्त रहें, सरकार आपको आश्वस्त करती है कि अगर कोई ऐसा निर्णय होता है तो उसके पहले सदन में चर्चा अवश्य होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्रीमती संगीता देवी । कोई बहस नहीं होगा । बात हो गयी है कि जब विधेयक आयेगा तो चर्चा होगी, आपलोगों को बोलने का मौका दिया जायेगा । बैठ जाइये ।

श्रीमती संगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी बस स्टैंड नहीं होने के कारण जनता, छात्र–छात्राओं एवं मरीजों को पूर्णिया तथा पश्चिम बंगाल आने–जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सरकार से मांग करती हूं कि सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बारसोई क्षेत्र में सरकारी बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए ।

श्रीमती विनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, पी0डब्ल्यू0डी0 का रोह–सिऊर रोड भारी वाहनों के चलने से गड्ढे में तब्दील हो गया है जिसके कारण बारिश के दिनों में जल–जमाव की समस्या बनी हुई है । इसी रोड से छात्र–छात्राओं को डिग्री कॉलेज जाना पड़ता है । अतः मांग करती हूं कि अविलम्ब रोड मरम्मती किया जाए ।

टर्न–08 / सुरज / 21.07.2026

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी में 26.40 करोड़ का नवनिर्मित ओवर ब्रिज धंसने व रेलवे फाटक बंद होने से जनता त्रस्त है । मैं सरकार से इसकी उच्च–स्तरीय जांच कराने, दोषी संवेदक तथा निगरानी में

विफल रहे अधिकारियों पर कार्रवाई और रेलवे से समन्वय कर वैकल्पिक मार्ग हेतु फाटक खुलवाने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया स्थित गंगा नदी पर नवनिर्मित सिक्स लेन पुल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि से जुड़ा है ।

अतः उनकी अमूल्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में उक्त पुल का नामकरण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सेतु किए जाने हेतु मैं सरकार से आग्रह करता हूं ।

श्री आसिफ अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बिस्फी विधान सभा क्षेत्र का तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत, जो सिमरी एवं बिस्फी विद्युत उपकेन्द्रों से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है । इससे लो–वोल्टेज, बार–बार तार जलने एवं बाधित विद्युत आपूर्ति की समस्या रहती है ।

अतः यहां नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की मांग करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के वाल्मीकिनगर विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए एक अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर के पारू उत्तरी पंचायत स्थित मॉडर्न स्कूल पर अत्याधिक शैक्षणिक भार है । पारू–मझौलिया क्षेत्र में 70% से अधिक बालिकाएं होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है । वहां से 10–15% लड़कियां ही पढ़ पाती हैं । वहां पृथक बालिका उच्च मा0 विद्यालय की स्थापना की मांग करता हूं ।

श्री मो0 सरवर आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन विधान सभा अंतर्गत काठामाठा, पूरनदाह एवं बलिया पंचायत में दूर सिथत पावर हाउस के कारण गंभीर लो–वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती की समस्या है । इससे आम जनजीवन और खेती पूरी तरह प्रभावित है । मैं सरकार से बलिया पंचायत में एक नए विद्युत उप–केन्द्र के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री रितुराज कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सरकारी विशविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस लंबे समय से लंबित है, जबकि निजी विशविद्यालयों के विद्यार्थियों की फीस का भुगतान किया जा रहा है । सरकार बताए कि सरकारी विश्वविद्यालयों के लाभार्थियों की लंबित फीस का भुगतान कब तक किया जाएगा ।

श्री सुभाष सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रीता देवी, पति–मनोज कुमार, सरेया वार्ड सं0–06 गोपालगंज में रसोइया के पद पर राजकीय बालिका म0वि0, गोपालगंज में कार्यरत थी जिनका सेवाकाल में 17.01.2025 को देहांत हो गया । अनुदान भुगतान हेतु एम0डी0एम0 कार्यालय, गोपालगंज के पत्रांक–121,

दिनांक–05.10.2025 से निदेशक, एम0डी0एम0, बिहार को पत्राचार हुआ पर भुगतान नहीं हुआ । सरकार से शीघ्र भुगतान की मांग करता हूं ।

श्री रजनीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग में भी ए0एन0एम0 और जी0एन0एम0 नर्सो के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण व पदस्थापन की व्यवस्था की जाए । इससे नर्सों को कार्य में सहूलियत होगी और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी ।

अतः जनहित में इस समस्या के समाधान की मांग सरकार से करता हूं।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब परिवारों का नाम राशन कार्ड से बिना उचित कारण काटे जाने से वे खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं । शीघ्र सत्यापन कर पात्र लाभुकों का नाम पुनः जोड़ने तथा विशेष शिविर लगाकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक–187, दिनांक–24.01.2026 द्वारा आजमनगर प्रखंड के नेपड़ा मौजा एवं पलसा मौजा में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी गयी है ।

अतः उक्त स्थल पर जल्द पावर हाउस निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री बशिष्ठ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर में बिजली का वोल्टेज कम होने के कारण कृषि कार्य एवं ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है ।

अतः कोचस ग्रिड से अकोढ़ी पावर हाउस को नया लाइन, करगहर पावर हाउस एवं सेंदुआर फीडर में 5के0वी0ए0 का एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाया जाए ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2023 में नियुक्त प्रखंड परियोजना प्रबंधकों (बी0पी0एम0) की सेवाएं 31.03.2025 को समाप्त कर दी गयी है । इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है । मैं सरकार से सभी बी0पी0एम0 को पुर्नबहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत स्थित धौंस नदी पर आजादी के बाद से पुल नहीं बना है । पुल के अभाव में ग्रामीण चचरी पार करने को मजबूर हैं, जिससे यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है । जनहित में शीघ्र पक्के पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ 104 और 73 पर क्रमशः पचरौड़–तरैंया–पानापुर एवं भटौरा–गवन्द्री–तरैंया बाजार पर पक्के नाले के अभाव में जल–जमाव एक गंभीर समस्या है । वर्ष 2025 से प्रशासनिक

स्वीकृति हेतु विभाग में लंबित है । इससे लोगों का जीवन नारकीय हो गया है ।

अतः सरकार इसे शीघ्र निर्माण करावे ।

श्री राकेश रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुर क्षेत्र के जवईनिया गांव में चल रहे बोल्डर पीचिंग के निर्माण कार्य में श्रम बल की कमी से कार्य पूरा होने में बहुत विलंब हो रहा है, जिससे कटाव का खतरा बना हुआ है । मैं सरकार से इसकी तत्काल जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा के तीनों प्रखंड क्रमशः गायघाट, कटरा एवं बंदरा में ग्रामीण सड़कों के निर्माण अंतर्गत नालों के निर्माण के अभाव में बरसातों में ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए नाला निर्माण हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत जल संसाधन विभाग, पूर्णिया प्रमंडल जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत कनकई नदी से बाड़ा ईस्तम्बरार, थाकी, डकैता बकरा नदी से चौकता, मटियारी, करहरा, कुरसेल प्रमाण नदी से चिल्हनिया, घोरमारा, चैनपुर मसूरिया इत्यादि में कटाव से कई परिवार घर से विस्थापित हो गए हैं ।

अतः उक्त ग्रामों के निकट कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं ।

टर्न–9 / धिरेन्द्र / 21.07.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्य श्री संजय कुमार, अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री संजय कुमार, प्रकाश चन्द्र एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (योजना एवं विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री संजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए आपका बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधान सभा सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य को जनकल्याणकारी योजनाओं का चयन करने

का प्रावधान है, अनुशंसित करने का प्रावधान है लेकिन पिछले नौ–दस महीने में जब अपने कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र की जनता से रू–ब–रू होने का मौका मिला तो कई ऐसी योजनाओं का चयन हम नहीं कर सकते हैं जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है और उपयोगी है । जब हम पार्कों में भ्रमण करते हैं तो वहां सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से लगना आवश्यक है लेकिन हम अपने निधि से त्वरित रूप से उसका निदान नहीं कर पाते हैं । स्ट्रीट लाईट हो, हाई मास्क लाईट हो, इसका नहीं कर पाते हैं जबकि हम देखते हैं कि सांसद क्षेत्र विकास योजना जो है वहां पर....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी सूचना को पढ़ीये । आप जो सूचना लिख कर दिये हैं कृपया उसे पढ़ें, उसके बाद माननीय मंत्री जी का जवाब होगा और कई माननीय सदस्यों के नाम भी हैं, उनको भी मौका दिया जायेगा ।

श्री संजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सांसद क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ज्यादा प्रावधान किया गया है, हमारे यहां कम प्रावधान है । हम यह चाहते हैं....

अध्यक्ष : संजय बाबू, आप जो सूचना दिये हैं उसको पढ़ीये ।

श्री संजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमलोग चाहते हैं कि उन दोनों में....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो लिखित दिया है, उसको पढ़िये या फिर उसे हम पढ़ा हुआ मान लेते हैं । माननीय मंत्री....

(व्यवधान)

ठीक है, पढ़िये ।

श्री संजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2026 के नियमावली में सभी तरह के विकास कार्य करने का प्रावधान किया गया है लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अति महत्वपूर्ण कई योजनाएं करने हेतु शामिल नहीं किया गया है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर सी॰सी॰टी॰सी॰ कैमरा, प्रतिष्ठित सामाजिक निबंधित संस्थानों/ट्रस्टों को एम्बुलेंस एवं शव वाहन देना इत्यादि कार्य ।

अतः सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमावली 2026 में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही विकास कार्यों को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नियमावली में शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

महोदय, एक विशेषज्ञ समिति बना कर इसमें एक नया प्रावधान किया जाय और कंडिका–5.14 में जो सांसद क्षेत्र विकास योजना में प्रावधान किया गया है, उसको भी शामिल किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की परिचालित परिदर्शिका, 2023 की कंडिका–6.15 में सरकारी अस्पताल हेतु रोगी वाहन, शव वाहन के क्रय का प्रावधान है । वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के

मार्गदर्शिका में सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा अधिष्ठापन तथा निबंधित संस्थानों/ट्रस्टों को एम्बुलेंस एवं शव वाहन देना इत्यादि कार्य शामिल नहीं है । इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है । अध्यक्ष जी, दूसरी बात कहना चाहते हैं कि अब तक विधान मंडल के किसी सदस्य ने यह डिमांड नहीं किया है, पत्राचार नहीं किया है कि इसको शामिल किया जाय और सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा हमलोगों के अधीन नहीं है मतलब वह गृह विभाग से संबंधित है और गृह विभाग के निर्देश पर ही वह लगाया जाता है लेकिन वैसे कुछ चीज हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है । किसी माननीय सदस्य ने इसकी मांग नहीं की है और कई माननीय सदस्यों ने मांग की थी हाई मास्क लाईट की तो उसको हमलोगों ने कर दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग बैठ जाइये । पहले उत्तर सुन लीजिये ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा छोड़कर जो अन्य चीजों के लिए इंटरेस्टेड हैं, अन्य चीजों का जो ध्यानाकर्षण में दिये हैं, अगर माननीय सदस्यों से कुछ अनुशंसा आती है तो मेरा विभाग उस पर विचार करेगा और सरकार से बातचीत करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह जो ध्यानाकर्षण आया है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमावली 2026 में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही विकास कार्यों को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नियमावली में शामिल करने हेतु तो इसे सेम कर दीजिये, जो केन्द्र का है और राज्य का है ।

(व्यवधान)

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा को नहीं किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति । सुन लीजिये, मंत्री जी क्या कह रहे हैं ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा के सवाल पर आदेश निर्गत नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, एम॰पी॰लैड में जो योजनाओं के चयन करने की सुविधा दी गई है, माननीय सदस्यों का आग्रह है कि विधायकों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में भी उसी तरह का सेम कर दीजिये । उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : महोदय, उसमें बात करनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप उसमें समीक्षा कर लीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिये, हम मौका देंगे ।

माननीय मंत्री जी, आप समीक्षा कर लीजिये ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : महोदय, समीक्षा कर ली जायेगी और बातचीत भी की जायेगी । माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे लोग भी थोड़ा लिखित में देंगे तो हमें बल मिलेगा ।

अध्यक्ष : अब तो यह ध्यानाकर्षण सदन में आ गया है । माननीय सदस्य श्री रत्नेश कुमार जी, बोलिये ।

(व्यवधान)

एक–एक कर सब को मौका मिलेगा । श्री रत्नेश कुशवाहा जी । वन बाई वन, सब की बात आयेगी, हम सभी को मौका देंगे । सब की बात सुनी जायेगी, प्लीज बैठ जाइये । आलोक बाबू, बैठ जाइये, इनके बाद मौका देंगे। हमारा आग्रह है कि वन बाई वन बोलवायेंगे । रत्नेश जी, आप बोलिये ।

श्री रत्नेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा आसन से भी सुझाव आया है और हम सभी सदस्यों की भी लगभग आम सहमति है कि जो एम॰पी॰लैड स्कीम में जितनी चीजें नियमावली और विकास के कार्यों को हमलोग करा सकते हैं, वे सारे कार्य जो हमलोग के एम॰एल॰ए॰ को मिलते हैं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत, उसको सिमिलर कर दिया जाय । सभी सदस्य उससे संतुष्ट हो जायेंगे । जितना प्रकार का डिमांड है चाहे हाईमास्क लाईट की, स्ट्रीट लाईट की, वह सारा उसमें समाहित है और हमलोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए बढ़िया काम कर सकेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह, आप बोलिये ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से विधायक और सांसद की सारी योजनाओं को बराबर कर लिया जाय तो पहले भी आग्रह हुआ था कि माननीय विधायक का जो फण्ड चार करोड़ है, वह सांसद के जैसा पांच करोड़ कर दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ चुकी है, चार करोड़ से उसको पांच करोड़ करा दिया जाय, पहले भी इस सदन में मांग हुई थी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार सिंह जी ।

(व्यवधान)

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हर चीज का रेट बढ़ गया है । मिट्टी का, बालू का, सीमेंट का रेट बढ़ गया है । पहले से निर्धारित है कि 15 लाख से नीचे बिना निविदा के काम कराते हैं, इस सीमा को बढ़ाकर कम–से–कम 25 लाख कर दिया जाय ताकि कोई भी भवन बन सके, कोई भी बड़ी सड़क बन सके। महोदय, कम–से–कम इसको 25 लाख करा दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक बार में सभी मत बोलिये । जिनको हम अनुमति देंगे, वही बोलेंगे । कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बैठिये । अनुमति के बाद बोलियेगा, सभी को मौका मिलेगा। बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों की गरिमा के बारे में बड़ी चिंतित हैं और मैं समझता हूँ यह अनिवार्य भी है । प्रखंड स्तर पर विधायक कार्यालय बनाने की बातें कई बार आयी हैं । आप कम–से–कम इसका आदेश दे दें, पिछली बार आपने दिया भी था कि हरेक प्रखंड में विधायक कार्यालय बने । इसकी भी अनुमति करा दी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक मेहता जी ।

(व्यवधान)

सभी को मौका मिलेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों की....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बात आ गई है । प्लीज बैठ जाइये । जब अनुमति मिलेगी तो खड़े हों । आपको हम मौका देंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों की जो भवना है उसके साथ तो मैं हूँ ही । अभी युवा खेल से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें विधायक कहीं जाते हैं स्पोर्ट्स प्रमोशन के नाम पर कहीं उनको किट्स देना होता है । इन चीजों की अनुमति इसमें नहीं है तो इसे स्पष्ट कर दिया जाय कि स्पोर्ट्स के मामले में भी जो इक्वीपमेंट है, उसको देना एलाव करें और जो एम॰पी॰लैड का मामला है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद जी, शांति रखिये, हम मौका देंगे । धैर्य रखिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं समझता हूँ कि एम॰पी॰ लैड स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसको लागू कर दिया जाय ।

टर्न–10 / अभिनीत / 21.07.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी ।

(व्यवधान)

गुप्ता जी, लाल बाबू जी बैठ जाइये प्लीज । इनके बाद मौका देंगे । माननीय सदस्यगण, बिना अनुमति के मत बोलिए । बैठ जाइये । इसके बाद हम आपलोगों से बुलवायेंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं अपनी ओर से और बिहारीगंज विधान सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं । सर, जहां क्षेत्र घुमते हैं, जहां भी जाते हैं, सभी माननीय सदस्यों की जो सहमति प्राप्त हुई है । भगवान बाबू माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं । योजना विकास विभाग के

माननीय मंत्री महोदय से ही मुझे कहना है कि हाई मास्क लाईट सांसद महोदय का लगा रहता है । जिधर जाते हैं हाई मास्क लाईट, हाई मास्क लाईट और...

(व्यवधान)

हो गया । दूसरी बात, नीरज बाबू जो बात उठाये हैं, 15 लाख तक जो सीमित है, हरेक कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन 25 लाख तक सीमित है । 25 लाख का पावर है, 25 लाख पावर के अंतर्गत उसको किया जाय । अभी नीरज बाबू बात रखे हैं उससे हम भी सहमत हैं । इससे सबको सुविधा होगी । कार्यकर्ता को सुविधा होगी । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू, इसके बाद । समय देंगे ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की पुनः समीक्षा की जानी आवश्यक है । महोदय, हमने माननीय मंत्रीजी से इनके कार्यालय में मिलकर अवगत कराया था । मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में जो खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण से संबंधित मामले हैं उसमें सर, कहीं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास में स्टेडियम के निर्माण में रनिंग ट्रैक, चेंजिंग रूम, एक्सरसाईज के लिए अलग, कहीं भी वाशिंग, बाथरूम इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं की गयी हैं । केवल उसमें मिट्‌टी भराई, बाउंड्री और बैठने की व्यवस्था है, तो वह स्टेडियम का स्वरूप कैसे हुआ महोदय, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे पर्यटन विभाग के द्वारा धार्मिक न्यास परिषद से जो मंदिरें, जो हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरें हैं उनमें बिना धार्मिक न्यास परिषद् के रजिस्ट्रेशन के भी कार्य कराये जाते हैं उसके पौराणिक महत्व को देखकर, तो वैसे मंदिरों में मठों में जिसकी पौराणिक इतिहास है, विधायक योजना से उसमें हमलोग विकास का काम क्यों नहीं कर सकते हैं ? इसलिए विभिन्न मंदिरों पर गेट बनावाना, खेल मैदान को सुदृढ़ करना और अन्य योजनाएं जो एम0पी0 लैड स्कीम में शामिल हैं, महोदय, उसको भी शामिल करा दिया जाय, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में हमलोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों के अनुरूप हमलोग काम कर सकें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी ।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से संबंधित आया था । जिसमें माननीय सदस्य किसी स्कूल में जाते हैं, शौचालय बनवाना है, निबंधित स्कूल जैसे डी0ए0वी0, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर ऐसे कई निबंधित जो 50 साल पुराने संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं लेकिन वहां विधायक नहीं बना सकते । माननीय मुखिया पंचायत में त्वरण द्वार बनाकर लिखते हैं कि पंचायत में आपका स्वागत है,

अभिनंदन है, लेकिन किसी महादलित बस्ती में बाबा भीम राव अम्बेडकर द्वार नहीं बना सकते, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार विधायक नहीं बना सकते, महात्मा गांधी द्वार नहीं बना सकते, लेकिन पंचायत में माननीय मुखिया बना सकते हैं । महोदय, वृक्ष को हम रोप रहे हैं, लेकिन वृक्ष को घेरने वाला गेवियन नहीं बना सकते, जाली नहीं बना सकते, वृक्ष रोपा हुआ बर्बाद हो जाता है । महोदय, पर्यावरण से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो निबंधित संस्थान हैं, जो मठ–मंदिर हमारे भाई ने बताया है इन सबको जोड़ते हुए, पिछले सत्र में आपने कहा था और कई राज्यों से आपने उसकी नियमावली भी मंगाकर विभाग को भेजा था परंतु अब तक इसकी प्रगति दिखाई नहीं दी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय आ गया है । धैर्य रखिए ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, लग रहा है कि समय आ गया है और दूसरी बात कि 25 लाख किया जाय और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने 8 करोड़ का डिमांड किया था उसको कम–से–कम 6 करोड़ किया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत । शांति–शांति । शांति बनाये रखिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जो हैं...

अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी है ।

श्री कुमार सर्वजीत : नहीं महोदय, ये उस सदन के भी सदस्य रहे हैं और इस सदन के भी सदस्य हैं । इन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे । दोनों सदन आपने देखा है तो किस बात की समीक्षा । सभी माननीय सदस्यों का अगर आग्रह है तो कुछ ऐसा काम करके जाइये अगले सदन में कि सब माननीय सदस्य आपका नाम लें । कुछ तो करना चाहिए न । कुछ करिए और बात बिल्कुल सही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ जी ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, मेरा..

श्री कुमार सर्वजीत : आप कल्पना करिए महोदय कि जो बच्चे हैं, हमलोगों को बुलाते हैं क्रिकेट के उद्घाटन में, फुटबॉल के उद्घाटन में, गांव में कोई मिलेट्री व्यक्ति शहीद हो जाता है, इतने लगन से कहता है कि हमने देश की सेवा के लिए शहीद किया है, अपने आपको शहादत दिया है गेट बना दीजिए, तो हमलोग बड़ा मर्माहित होते हैं, इसलिए आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि वह जो हौसला है कुछ कर गुजरने का, कर दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय बशिष्ठ बाबू ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, सदन के सभी सदस्यों की यह मांग है कि जो विधायक निधि 4 करोड़ मिलती है उसको बढ़ाया जाय, तो इस पर लगता है सब की सहमति है और सभी राज्यों में कहीं 5 करोड़, कहीं 7 करोड़, कहीं 8 करोड़, कहीं 10 करोड़ मिल रहा है । मेरे यहां आबादी की संख्या ज्यादा है, लोगों की डिमांड ज्यादा है और सबसे कम हमलोगों का है, इसलिए सदन से हम मांग करते हैं

कि इसको बढ़ाया जाय । दूसरा प्वायंट महोदय, हमलोग आते हैं कृषि वाले इलाके से, रोहतास जिला से, भोजपुर साईड से..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में बोलिए ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, सड़क हर गांव में चली गयी । सभी किसान आकर कह रहे हैं कि विधायक जी हमलोगों का ये जो छवर है बिहार सरकार वाला उसको जुड़वा दीजिए । अगर सड़क नहीं बन रही है तो मिट्टी भी डलवा दीजिए । मिट्टी का भी रोड डाल दीजिएगा तो खेती–गृहस्थी करने में हमलोगों को सुविधा होगी, तो मैं मांग करता हूं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी ।

श्री बशिष्ठ सिंह : कि मिट्टी की भी सड़क विधायक निधि से डालने का आदेश दिया जाय ताकि मिट्टी की भी सड़क डालकर हमलोग किसानों को लाभ पहुंचा सकें ।

श्री माधव आनंद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : सारी बातें आ गयी हैं । उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ।

श्री माधव आनंद : अध्यक्ष महोदय, यहां बात हो रही है कि जो एम0एल0ए0 लैड है, उसके रेलिवेंस की बात हो रही है । बिहार एक विकासशील प्रदेश है और महंगाई, इन्फ्लेशन हम जानते हैं कि आज की डेट में इन्फ्लेशन कितना है, तो जो पुरानी परंपरा रही हैं, लगातार कई वर्षों से चार करोड़ की बात होते रहती है, तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए, विधायकों की भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए और रेलिवेंस को भी देखते हुए, इन सारी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है । मुझे लगता है उसे पूरा चेंज करने की आवश्यकता है और माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कहीं हैं, जो एम0पी0 लैड में होता है उसमें और भी एड करने की आवश्यकता है । अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मंत्रीजी के साथ हमलोग डेलिगेशन के रूप में बैठ जायेंगे और इस निधि को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन राम जी ।

श्री ललन राम : अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय विधायक जी द्वारा हर पंचायत में पांच चापाकल की विभागीय अनुशंसा करते थे । अभी स्थिति यह है, आलम इस प्रकार है कि जिला में 20–25 विभागीय चापाकल जा रहे हैं और जहां 6 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, दो–दो भी चापाकल नहीं पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि चापाकल के लिए सभी अपने विभाग में, पी0एच0ई0डी0 विभाग को निर्देशित किया जाय कि सब अनुशंसा करें ।

अध्यक्ष : बैठिए । माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी । बैठ जाइये, इसके बाद लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी बोलेंगे । मेरा आग्रह है कि जो बातें आ गयी हैं..

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय,

अध्यक्ष : बैठिए न । लाल बाबू जी बैठिए । इसके बाद बोलिएगा । जो बातें आ गयी हैं उसको रिपीट मत कीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, खेल से जुड़ी सामाग्री और साथ ही खेल मैदानों में ट्रैक और बाकी जो खेल की व्यवस्थाएं हैं उनको भी शामिल किया जाय । साथ ही, जो पुराने मंदिर हैं, जो पुराने–पुराने मंदिर हैं, जो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड से नहीं जुड़े हैं उनकी घेराबंदी और साथ ही अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान की घेराबंदी, इसको भी जोड़ दिया जाय । महोदय, एक चीज और..

टर्न–11 / अंजली / 21.07.2026

अध्यक्ष : श्री लाल बाबू गुप्ता जी, प्लीज खड़े होइए । आप बैठ जाइए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : एक बात और महोदय ।

अध्यक्ष : लाल बाबू गुप्ता जी, खड़े होइए ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए । जो बातें आ गई हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

एक मिनट । वे खड़े हैं । आप बैठिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, जैसे सब जगह मुख्यमंत्री योजना से काम हो रहा है, तो मठ मंदिर का भी आदेश दिया जाए, उसमें जोड़ा जाए । जो मठ मंदिर पुराने हैं, उनकी चहारदीवारी की जाए । यह किया जाए । बहुत से मठ–मंदिर खराब हैं, ढह रहे हैं, उसको किया जाए ।

अध्यक्ष : हो गया, प्लीज, आप बैठ जाइए । तारकिशोर जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सब को बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरा आग्रह है, समय जाया होगा, शून्यकाल भी है और एक ध्यानाकर्षण और भी है । जो बातें आ गई हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विस्तारित किया है और कहीं न कहीं सरकार को, आसन की मंशा को समझ लिए होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, दो–तीन बिंदु हैं जिस पर चर्चा नहीं हो पाई है, उस पर अपना विचार रखना चाहता हूं । आप पेडेस्टल बनाने की अनुमति देते हैं लेकिन उस पर अगर किसी महापुरुष की मूर्त्ति लगानी हो, तो उसका प्रावधान नहीं है । अभी खेलों की सामग्री के खरीद में अधिकतम सीमा एक लाख रुपए है, जबकि आप बैडमिंटन का, ताइक्वांडों का और जो कई टर्फ हैं वह अभी एक लाख रुपया से अधिक उसकी कीमत हो गई है, तो इसमें निश्चित तौर पर प्रावधान करना चाहिए और माननीय सदस्यों ने एक अच्छी बात कही है कि धार्मिक न्यास पर्षद से जो एफिलेटेड नहीं हैं, ऐसे तमाम पुराने जो पूजा के

स्थल हैं या हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, तो उसके रख–रखाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए निश्चित तौर पर इसमें प्रावधान होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पप्पु कुमार वर्मा जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय जी, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, कठिनाई क्या है कि हम सब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से आते हैं, ग्राम सभा में हम सब जा नहीं पाते हैं जो अपनी बातों को रखें, उसकी अपनी सीमाएं हैं और नगर क्षेत्र के जो थ्री टायर, लोकल अर्वन बॉडीज हैं वहां भी जो नगर निगम के पार्षद हैं या सदस्य हैं, उनकी अपनी इतनी सारी मांगें होती हैं कि हम सब अपनी बात को रख नहीं पाते हैं वहां पर और यही एक संसाधन है जिसके द्वारा हम सब एक आमजनों की सुविधाओं को, उनकी भावनाओं को कहीं न कहीं यर्थाथ रूप में रखने का काम करते हैं । इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को आसन की भावनाओं को समझकर इसकी समीक्षा करके विस्तारित स्वरूप देना चाहिए । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सारी बातें आ गई हैं । हमारी राय है, सभी बातें आ गई हैं । श्री पप्पु कुमार वर्मा जी, बोलिए ।

(व्यवधान)

कोई जरूरी नहीं है कि हर माननीय सदस्य बोलें । विषय आ चुका है ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुर्था विधान सभा क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है कि जो रोड करपी–कुर्था टेंडर हो चुका है,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वहां–कहां का ले आए आप । अभी बात हो रही है एम0पी0 लैड/एम0एल0ए0 लैड के संदर्भ में बात हो रही है । उसके बारे में बोलिए ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : महोदय, हम एम0पी0 लैड में समर्थन करते हैं कि पांच करोड़ किया जाए ।

अध्यक्ष : उस पर सुझाव दे दीजिए । यदि सुझाव है तो ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : जी धन्यवाद ।

अध्यक्ष : आई0पी0 गुप्ता जी, बोलिए । संक्षेप में बोलिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मंदिरों की बात हो रही है, धार्मिक न्यास से जुड़ा हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि जब एम0एल0ए0 लैड में जोड़ा जाए तो सभी धर्मों जैसे–मस्जिद है, चर्च है, बाकी सभी लोगों को जोड़ा जाए । बस इतना ही कहना है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृषि विभाग ।

(व्यवधान)

प्लीज, गोपाल जी, बैठ जाइए । अब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों का विचार आया है, माननीय मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है और ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण में

जिन लोगों का हस्ताक्षर है, विषय तो वहीं जाएगा और मंत्री जी ने इशारा भी किया है, तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा । हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : गोपाल कुमार अग्रवाल जी, बोलिए ।

(व्यवधान)

जितेंद्र जी, प्लीज बैठ जाइए ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । हमलोग जब क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो विद्यालय वगैरह में जाते हैं,

(व्यवधान)

एक मिनट । एक मिनट । प्रमोद भैया । जब हमलोग विद्यालय में जाते हैं, तो पुराने भवन जो खंडहर हो गए हैं, जो टूट गए हैं या जिसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, तो जब हमलोग रिपेयरिंग करने की बात करते हैं तो हमलोगों को विभाग द्वारा कह दिया जाता है कि इसकी रिपेयरिंग में आपके यहां कोई प्रोविजन नहीं है, तो कम से कम वैसे विद्यालयों या वैसे सरकारी भवन जिसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वह हम रिपेयरिंग करा सकें, इसका भी प्रोविजन होना चाहिए ।

अध्यक्ष : जितेंद्र जी, बोलिए ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हुईं और हमलोग ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं और नदियों से घिरा रहता है और किसानों की और ग्रामीणों की मांग रहती है कि जो तटबंध टूटे हुए हैं, जो खाड़ हुए हैं उसका निर्माण हो जाए, तत्काल निर्माण हो जाए । महोदय, इसमें भी जो खाड़ है या जो तटबंध टूटे हुए हैं, उसको भी छोटी–छोटी जो योजनाएं रहती हैं उसमें जोड़ने की व्यवस्था की जाए ।

अध्यक्ष : जी जरूर । अब आप बैठ जाइए । प्रकाश जी, बोलिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सी0सी0टी0वी0 के बारे में बोला गया है कि गृह विभाग से हमलोगों को उसके लिए आदेश लेना होगा, तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप गृह विभाग के साथ पत्राचार करके एन0ओ0सी0 लीजिए और हमलोगों को यह अधिकार दीजिए । चूंकि अपराध बढ़ रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, हिट एंड रन का केस बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण जगहों पर हमलोग सी0सी0टी0वी0 की अनुशंसा कर सकें और दूसरी बात कि जहां कहीं भी शव जलाने के लिए अच्छा मुक्ति धाम नहीं है, वहां भी हमलोग मुक्ति धाम के लिए राशि दे सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इसी में यह कहना चाहेंगे कि जैसे हम दो–तीन दिन पहले गए थे, कई स्कूलों के जो ग्राउंड है उसमें पूरा पानी भरा

हुआ है, तो उसमें मिट्टी भरा कर के उस ग्राउंड को बनाने का, यह भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

विषय आ गया है । जवाब सुन लीजिए । जवाब सुनिए । अब सारी बातें आ चुकी हैं । जवाब सुन लीजिए । सरकार खड़ी हो गई है, कृपया बैठ जाइए । बताइए ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के सुझाव दिए, सबसे पहले तो हम भी एक माननीय सदस्य हैं, इसके बाद मंत्री हैं ।

(व्यवधान)

नहीं–नहीं, सब की सहमति है । माननीय सदस्य मंजीत जी ने जो सवाल उठाया, जो आपने लिखित में दिया है, दरअसल वह पत्र अभी सर्कुलेट नहीं हुआ है । सात माननीय सदस्यों ने आवेदन दिया था कि यह संशोधन होना चाहिए, उन सभी को लगभग संशोधित कर दिया गया है । एक माामला नया आया है, 15 से 25 करने का, तो इस पर भी हमलोग करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है । जहां तक माननीय सदस्यों ने कोटा बढ़ाने की चर्चा की है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए । सुनिए । शांति–शांति । पूरी बात सुन लीजिए, पासवान जी ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : जहां तक कोटा बढ़ाने की बात है, यह योजना एवं विकास का प्रश्न नहीं है, यह दरअसल सरकार और वित्त विभाग का मामला है और वित्त मंत्री जी यहां रहते, तो हम उनसे आग्रह करते कि आप भी कुछ बोल दीजिए, ठीक न ? लेकिन माननीय सदस्यों ने जो–जो सवाल उठाया है, वशिष्ट सिंह जी ने एक सवाल उठाया है कि कच्ची सड़क का मिट्टी वर्क नहीं करा सकते हैं, अब करा सकते हैं, अब जो सर्कुलर है, आप लोग उसका अध्ययन कीजिए । हम अभी विभाग में जाएंगे, तो यहां से विभाग के सेक्रेटरी को कहेंगे कि जो नए संशोधन हुए हैं, उसकी कॉपी हम सभी माननीय सदस्यों को बंटवा देंगे, ठीक न ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति । बैठे–बैठे मत बोलिए । यह गलत बात है ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री : दो दिन के अंदर, आपको चालू सत्र में मिल जाएगा कि क्या–क्या संशोधन हुआ है, तो इसलिए जितने सवाल आप लोगों ने उठाया है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार : एम0पी0 लैड के आधार पर जो माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उस आधार पर इसको किया जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिल्कुल । आ गया है प्रस्ताव, मैंने भी कहा है । संजय बाबू, आप बैठ जाइए ।

माननीय सदस्य श्री रूहेल रंजन जी, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री रूहेल रंजन, मांजरीक मृणाल एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री रूहेल रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात (PTR) के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर शिक्षकों का असमान वितरण देखने को मिल रहा है। परिणामस्वरूप कहीं अत्यधिक छात्र संख्या पर सीमित शिक्षक कार्यरत हैं, तो कहीं अपेक्षाकृत कम छात्र संख्या के बावजूद आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इस असंतुलन के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह समस्या राज्य के विभिन्न जिलों के अनेक सरकारी विद्यालयों में विद्यमान है तथा शिक्षा व्यवस्था की गुणवता एवं विद्यार्थियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

अतः मैं इस विषय पर सदन के माध्ययम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

टर्न–12 / पुलकित / 21.07.2026

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून (आर.टी.ई.एक्ट) के तहत विहित छात्र–शिक्षक अनुपात के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षकों के संतुलित वितरण के लिए पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता के आलोक में यह स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षों में विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुए विकेंद्रीकृत शिक्षक नियोजन एवं प्रशासनिक विसंगतियों के कारण कतिपय विद्यालयों में छात्र संख्या की तुलना में शिक्षकों के वितरण में असमानता, विषयवार एवं इकाईवार परिलक्षित हुई है। इसके कारण कुछ शहरी अथवा सुगम क्षेत्रों के विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक तथा सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सीमित शिक्षकों के कार्यरत रहने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

इस विसंगति को समूल दूर करने तथा मानव संसाधनों के समरूप एवं स्थानांतरण एवं युक्ति–युक्त पुनर्वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 अधिसूचित की जा चुकी है। इस

नई नियमावली में छात्र–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) को सुदृढ़ करने हेतु कुछ एक विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं, यथा –:

1. समानुपातीकरण (Rationalization) – संपूर्ण राज्य के विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) शिक्षक पदस्थापित हैं, उन्हें चिन्हित कर कम शिक्षक वाले अथवा शिक्षक–विहीन विद्यालयों में समायोजित करने की नीति लागू की जा रही है।

2. स्थानांतरण नीति – सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमावली में सेवा अवधि और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन स्थानांतरण (ऑनलाइन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर) की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी।

3. नियमित अनुश्रवण– विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में पोर्टल के माध्यम से छात्र–शिक्षक अनुपात की जिलावार एवं विषयवार समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार का असंतुलन दोबारा न हो।

बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के इन दूरगामी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों में शिक्षक का समरूप वितरण (बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन) सुनिश्चित होगा, जिससे पठन–पाठन की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होगा। समानुपातीकरण एवं स्थानांतरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया वर्तमान शैक्षणिक सत्र के भीतर ही नियमानुसार पूर्ण कर ली जाएगी।

श्री रूहेल रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि कि हर स्कूल का एक पी.टी.आर. होना चाहिए और हर तरह के स्कूल का जैसे उच्च विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, प्राथमिक विद्यालय का अलग । एक प्यूपिल–टीचर रेशियो फिक्स हो जाए जैसे 30 या जो भी आपको ठीक लगे और उसी हिसाब से लोगों का स्थानांतरण किया जाए। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ तेलघाणा एक पंचायत है एकंगरसराय ब्लॉक में, उसमें खोजपुरा का जो विद्यालय है, उसमें 282 छात्र हैं, जिसमें 5 शिक्षक हैं और उसी पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर है जहाँ पर 40 छात्र पर 4 शिक्षक हैं। ऐसे जो उदाहरण हैं, दूर करने की कृपा करें।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, यह मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 40 छात्र पर 1 शिक्षक, इसका मानक बनाया है। उसके आधार पर हमने बिहार के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और वहाँ के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है और वह प्रक्रिया चल रही है जो वर्तमान

शैक्षणिक सत्र में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।

श्री विशाल कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : जिन सदस्यों का नाम है वही बोलें । आपका नाम है न ?

श्री विशाल कुमार : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिए।

श्री विशाल कुमार : महोदय, मंत्री जी ने कहा कि हम ऑनलाइन करेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा लोगों का। हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि हमारे यहाँ 45 छात्र पर 6 शिक्षक हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहीं 45 पर 5 हैं और वहीं कितना अंतर है कि 257 पर 3 शिक्षक है। हम छात्रों की संख्या में अनुपात बता रहे हैं मंत्री जी को। 257 पर 3 शिक्षक हैं, कुछ विद्यालय हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें मात्र दो–दो शिक्षक हैं। जितरा में और पोखरहिया में, बनकटवा ब्लॉक है मेरे विधानसभा में, यहाँ दो–दो शिक्षक हैं। होता क्या है मंत्री जी कि ट्रांसफर तो विभाग कर देता है और वहाँ जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति होती है। अब प्रतिनियुक्ति करा करके वह शहर के इर्द–गिर्द किसी विद्यालय में अपना शिक्षक ट्रांसफर करा लेते हैं और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का हमारा पंचायत है, वहाँ वह जाना नहीं चाहते हैं। तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करिए कि जो मानक है कि 40 पर 1 शिक्षक हो, वह सुदूर ग्रामीण में भी जिनका ट्रांसफर हो जाए, प्रतिनियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दीजिए।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, पिछले दो महीने से प्रतिनियुक्ति पूरी तरह बंद है और अभी हमारा समानुपातीकरण का कार्य प्रारंभ है। 29 तारीख से पोर्टल एक्टिव होंगे, स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएँगे और जो चिंता माननीय सदस्यों की है, यह भविष्य में कभी भी आपके द्वारा यह विषय सदन में नहीं आएगा, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, प्रतिनियुक्ति के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया जाए। अभी बंद है, उसको सदा के लिए बंद करवा दीजिए।

अध्यक्ष : आप सुझाव लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, मैंने कहा प्रतिनियुक्ति अभी हमने बंद कर दी है। दो महीने से प्रतिनियुक्ति नहीं चल रही है।

अध्यक्ष : सुझाव लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें। अब ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ।

श्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री : महोदय, एक लाइन में और बता दें, जो स्थानांतरण नीति हमने बनाई है, वह नीति हम सभी माननीय सदस्यों को भेज देंगे, एक बार अध्ययन कर लेंगे तो यह सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आपका नाम तो इस ध्यानाकृषण सूचना में नहीं है । बैठ जाइए। आगे बढ़ रहे हैं।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

श्रीमती रमा निषाद, मंत्री : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखती हूँ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार शैलेन्द्र, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री बबलू कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं चिकित्सा शिक्षा विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है। निर्माण में हो रहे विलंब से क्षेत्रवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराए जाने की मांग मैं सरकार से करता हूँ।

श्री सियाराम सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा दंत चिकित्सक के पद पर निर्गत विज्ञापन संख्या 20/2025 में लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन हुए एक साल बीत जाने के बाद भी अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की गई है।

अतः अंतिम मेधा सूची शीघ्र जारी करने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री गुलाम सरवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बायसी प्रखंड के 15 स्थानों पर भीषण नदी कटाव हो रहा है । हरिन्तोड़ पंचायत वार्ड 8, ताराबाड़ी पंचायत वार्ड 8 तथा खुटिया पंचायत को जाने वाली सड़क अर्राबारी के पास कर चुका है ।

अतः इन जगहों पर फ्लड फाइटिंग से कार्य कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : जो शून्यकाल की सूचना आपने लिखित में दी है, वही पढ़ें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला सहित राज्य के कई जिलों में बारिश सामान्य से कम होने से फसल उत्पादन प्रभावित हो गई है, जिसके कारण किसान आर्थिक तंगी से परेशान हैं।

अतः कृषक हित में पटवन हेतु पूर्व की भांति डीजल खरीदने में अनुदान राशि देकर फसल उत्पादन में सहायता हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वाँ स्मरण दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं और डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी प्रखंड में एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, रुलाई बंगाली कॉलोनी में, जहाँ डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित है।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहाँ डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित है, उसका नामकरण डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी उत्क्रमित उच्च विद्यालय करने की मैं सरकार से मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न–13 / हेमन्त / 21.07.2026

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के बूढ़ी गंडक नदी के शिकरहना बायां तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कराने की मांग करता हूँ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, महीषी विधानसभा सहित कोसी क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़, कटाव एवं विस्थापन की गंभीर समस्या से प्रभावित रहता है। स्थायी समाधान, समन्वित विकास तथा त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोसी प्राधिकार का गठन अत्यंत आवश्यक है। अतः जनहित में कोसी प्राधिकार का शीघ्र गठन करने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा अंतर्गत नावानगर प्रखंड के कतलपुर गाँव का डाकघर रोहतास जिले से संबद्ध होने के कारण कॉल लेटर, नियुक्ति–पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण डाक समय पर नहीं पहुँचती है। अतः बक्सर डाक मंडल से जोड़ने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : शेष स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं और उन्हें शून्यकाल समिति के सुपुर्द किया जाता है।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्री मुरारी पासवान : भागलपुर जिला अन्तर्गत पीरपैंती विधान सभा के सुदूर क्षेत्रों में विकास की गति बरकरार रखने और प्रशासनिक सुगमता हेतु स्थानीय जनता वर्षों से प्रखंड / अनुमंडल विभाजन की मांग कर रही है। अतः व्यापक जनहित में 'शिवनारायणपुर' को अविलंब नया प्रखंड बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री उदय कुमार सिंह : दिल्ली–कोलकाता एनएच–02 स्थित रोशघाटी एसडीएच ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं कर्मियों के अभाव में गंभीर दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को रेफर करना पड़ता है, जिससे कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

ट्रॉमा सेंटर में अविलंब विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं कर्मियों की बहाली कर उपचार प्रारंभ की जाय।

श्रीमती देवंती देवी : अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा अन्तर्गत प्रखंड भरगामा और नरपतगंज में जर्जर तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर को बदलकर लचर विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ।

श्रीमती बेबी कुमारी : मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) के ब्लड बैंक में रक्त संग्रहण, सुरक्षित भंडारण एवं समय पर उपलब्धता की व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक है। अतः सरकार उच्चस्तरीय जांच कराकर ब्लड बैंक की क्षमता एवं संसाधनों का विस्तार करे तथा रक्त वितरण व्यवस्था को पूर्णतः सुदृढ़ और पारदर्शी बनाए।

श्रीमती सावित्री देवी : जमुई जिलान्तर्गत प्रखण्ड चकाई के चौफला पंचायत में अनुसूचित जनजातीय आवासीय कन्या विद्यालय की स्थापना नहीं होने पर उक्त प्रखण्ड के अनुसूचित जनजाति बालिकाएँ पठन–पाठन से वंचित हो रही हैं। अतः उक्त आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ।

श्री मनोज कुमार : अरवल जिले में गहराए भीषण जल संकट से जिले के कई गाँवों में चापाकल सूख चुके हैं और लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। अतः जनहित में सरकार से अतिशीघ्र पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग करता हूँ।

श्री भरत बिन्द : शिक्षक नियमावली 2006 (संशोधित 2012 एवं 2020) के प्रावधानों के अनुरूप 12 वर्ष, 8 वर्ष एवं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को समय पर पदोन्नति एवं वेतन बढ़ोतरी की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री शुभानंद मुकेश : भागलपुर के गोराडीह प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, हरना में कमरों की कमी है। परिसर तालाब में कट रहा है और रसोईघर विलीन हो चुका है, जिससे 300 बच्चों के डूबने का खतरा है। विद्यालय में तुरंत सुरक्षादीवार सह चहारदीवारी का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत फेसर एवं पोखराहा के बीच दिलमोहम्दगंज स्थित सोन उत्क्रमित नहर पुल जर्जर होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः जनहित में उक्त स्थल पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड स्थित गांधीघाट पर निलहा अत्याचार के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी आंदोलन किए थे। उक्त ऐतिहासिक सत्याग्रह स्थल पर सत्याग्रह भवन पूर्व से निर्मित घाट का सौंदर्यीकरण एवं उससे सटे धनौती नदी के गाद की सफाई कराने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : पटना के भगवत नगर में गीता हॉस्पिटल नाम से राहुल सिंह एवं कथित चिकित्सकों के द्वारा फर्जी अस्पताल संचालित किया जा रहा है। ऐसी

गतिविधियाँ राज्य के अन्य शहरों में भी बड़े पैमाने पर संचालित हैं। ऐसे अवैध चिकित्सालयों पर सरकार से परिणाम–मूलक कार्रवाई की मांग करता हूँ।

श्री रोमित कुमार : सामान्य प्रशासन विभाग की जाति सूची में "भूमिहार ब्राह्मण" के स्थान पर हुई त्रुटि के कारण समाज में असंतोष व्याप्त है। आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद मामला लंबित है। सरकार शीघ्र अनुमोदन प्रदान कर अभिलेखों में "भूमिहार ब्राह्मण" अंकित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे।

श्री राजेश कुमार मंडल : मखानाखेती करने वाले किसानों को मखानाखेती में उन्नत प्रभेदो का विकास, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, वैज्ञानिक खेती, तकनीकी यंत्रीकरण, मूल्यसंवर्द्धन एवं पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु एक मखाना आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आवश्यक है। अतः मैं सरकार से दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी प्रखण्ड में उत्कृष्टता केंद्र शीघ्र खोलने की मांग करता हूँ।

श्री अभिषेक रंजन : चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के चनपटिया, मझौलिया, गोपालपुर, सिरिसिया, कुमारबाग एवं मनुआपुल थाना क्षेत्रों में पिछले तीन महीनों में चोरी के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अब तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं हुआ है। मैं सरकार से शीघ्र उक्त मामलों के उद्भेदन कराने की मांग करता हूँ।

श्री भीष्म प्रताप सिंह : मैरवा प्रखंड के कोड़रा गांव में पावर ग्रिड के निर्माण हेतु 12 एकड़ 65 डिसमिल आवासीय भूमि का अधिग्रहण भीठ के दर से प्रस्तावित है, जो अन्यायोचित है। अतः मैं सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि सरकार उक्त भूमि का अधिग्रहण आवासीय दर से करें।

श्री अरूण कुमार : पटना जिलान्तर्गत सम्मसपुर फतुहा त्रिवेणीघाट तथा बैकुंठनाथधाम खुसरूपुर गंगाघाट पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ जहानाबाद, पालीगंज, गसौढ़ी, नगरनौसा, दनियावा, चंडी, हिलसा एवं अन्य जगहों के लोग आते है। अतः उक्त दोनों स्थानों पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण एवं अन्य आवश्यक सुविधा बहाल करने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री कमरूल होदा : पोठीया प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि एवं तत्काल सत्र संचालन हेतु विद्यालय का चयन कर प्रस्ताव जिला पदाधिकारी किशनगंज द्वारा दिनांक 5.2.2026 को सचिव उच्च शिक्षा को भेजा गया है। अतः मैं पोठीया प्रखण्ड में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ।

श्री अजय कुमार : नालन्दा के नगरनौसा प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग पर दिनांक– 18.07.2026 को एसएफआई की राज्याध्यक्ष काति कुमारी के नेतृत्व में आंदोलनरत छात्रों सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आठ छात्र अभी भी जेल में हैं। मैं सरकार से सभी छात्रों की रिहाई की मांग करता हूं।

श्री अरूण सिंह : रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड–बिक्रमगंज में धावा पुल से सलेमपुर तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। जबकि इस सड़क में आने

वाला पचमोरिया पर पुल ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त पचमोरिया के ऊपर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र कराने की सदन के माध्यम से माँग करता हूँ।

श्री राम सिंह : पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा विधानसभा पुलिस जिला एवं अनुमंडल है जिनका चार प्रखंड गंडक नदी उस पार के साथ गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण गंडक नदी पर शास्त्री नगर से बेलवनिया तक हाई लेवल पुल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री देवेश कांत सिंह : मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि सिवान जिले का महाराजगंज अनुमंडल, जो 1 अप्रैल 1991 से अस्तित्व में है, में महाराजगंज, भगवानपुर, गोरेयाकोठी, लकड़ी नबीगंज, बसंतपुर एवं दरौंदा प्रखंड शामिल है। जनहित एवं प्रशासनिक सुविधा हेतु इसे पूर्ण जिला घोषित किया जाए।

श्री अजय कुमार : टिकारी विधानसभा के कोंच प्रखंड अंतर्गत खजूरी और गहरपुर बलवा के बीच सोन नहर में पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं।

श्रीमती मनोरमा देवी : इंद्रपुरी बराज से सोननहर योजना अंतर्गत गयाजी जिला के टिकारी तक किसानों को पानी उपलब्ध कराने की योजना है, जिसे विस्तारित कर बेलागंज तक लाने से हजारों किसान लाभान्वित होंगे। अतः मैं सरकार से हजारों किसानों के हित में सोननहर को विस्तारित कर बेलागंज तक लाने की मांग करती हूं।

श्री कुमार सर्वजीत : बोधगया यातायात थाना कांड संख्या 32/24 में पुलिस अभिरक्षा से जब्त पीड़ित अनिल कुमार की मोटरसाइकिल गायब होने की घटना तथा न्यायालय के विमुक्ति आदेश के बावजूद वाहन न लौटाने, थाना द्वारा दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार के आरोप अत्यंत गंभीर हैं। उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की माँग करता हूँ।

श्री नागेन्द्र राउत : सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुपरी प्रखंड के पंचायत बैरा बाजितपुर ग्राम गंगा पट्टी आधवारा नदी पर नए पुल का निर्माण करा कर मुख्य पद से जोड़ने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : रोहतास जिला अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड में वन प्रक्षेत्र के अधीन महादेवखोह नदी में गाद जम जाने से जल प्रवाह बाधित है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से महादेवखोह नदी में जमी गाद की सफाई कराने की मांग करता हूँ।

श्री महेन्द्र राम : वैशाली जिला के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के देसरी प्रखंड अंतर्गत चांदपुरा से आजमपुर होते हुए खड़गपुर विलट चौक तक गंगा नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण गंगा नदी में तेजी से कटाव होना शुरू हो गया है। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग से बोल्डर पीचिंग की मांग करता हूँ।

श्री बिरेन्द्र कुमार : रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत शिवाजीनगर में रामलखन सिंह रामस्वरूप मंडल स्नातक महाविद्यालय है। महाविद्यालय के पास पर्याप्त भूमि एवं शिक्षक

उपलब्ध हैं। अतः सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए।

श्री अमित कुमार : सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मनुषमारा नदी में अत्यधिक गाद और जलकुंभी जमा होने से जलप्रवाह अवरुद्ध है। इससे क्षेत्र में बाढ़ और जलजमाव की समस्या बनी रहती है। अतः जनहित में परशुरामपुर से बेलसंड तक नदी की उड़ाही एवं सफाई कराने की माँग करता हूं।

श्री रामानंद मंडल : सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्रअंतर्गत लगभग सभी गांव में नाला तालाब पोखर के मेन रास्ता में जाने वाले पानी को अतिक्रमण के कारण जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार कार्ययोजना बनाकर जलनिकासी की व्यवस्था कर जल संचय करें ताकि जल से पटवन का कार्य किया जाए।

श्री अमरेन्द्र कुमार : औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखण्ड के शेखपुरा में संगम तट पर भृगु ऋषि का प्राचीन आश्रम स्थल है। यहाँ कार्तिक मास में पंद्रह दिनों तक बड़ा मेला लगता है। मैं इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : कटिहार जिला के कदवा विधानसभा अंतर्गत कदवा प्रखंड एवं इसके आसपास की बड़ी आबादी को भूमि एवं संपत्ति के निबंधन हेतु दूरस्थ निबंधक कार्यालय जाना पड़ता है, जिससे समय एवं धन की अनावश्यक हानि होती है। अतः जनहित को देखते हुए कदवा प्रखंड में उप निबंधक (सब–रजिस्ट्री) कार्यालय की स्थापना की जाय।

श्री मनोज विश्वास : माननीय अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज नगर परिषद एवं जोगबनी नगर पंचायत को करोड़ों रुपये का बजट मिलने के बावजूद विकास कार्य नहीं दिखते। मात्र आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। सरकार बजट की जांच कर स्थायी समाधान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करे।

श्री कुमार प्रणय : मुंगेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड स्थित बाल्मिकी राजनीति महिला महाविद्यालय, मुंगेर के मैदान में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के हित में रनिंग ट्रैक एवं गैलरीनुमा बैठने की व्यवस्था कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री अरूण कुमार सिंह : मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत राजकीय कृत मध्य विद्यालय सासना को भवन के अभाव में महम्मदा दुबे टोला प्राथमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया जबकि उक्त विद्यालय के पास प्रयाप्त 6 एकड़ भूमि उपलब्ध है। अतः मैं सरकार से उक्त स्थान पर विद्यालय के भवन के निर्माण की माँग करता हूं।

श्री पुरन लाल टुडू : कटोरिया विधान सभा अंतर्गत बौसी प्रखण्ड एस सुखनिया नदी में जलापूर्ति योजना पर करोड़ों रूपये खर्च होने के बावजूद भी नगर पंचायत में जनता को पीने का पानी नसीब नहीं हुआ, अधूरी पाइप लाइन के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं है, सरकार से शीघ्र जलापूर्ति कराने की मांग करता हूँ।

श्री राधा चरण साह : भोजपुर जिला अंतर्गत सकड़डी–नासरीगंज (एस०एच०–81) सड़क के 19वें कि०मी० में रेपुरा ग्राम के पास काफी बड़े–बड़े गढ़े तथा जल–जमाव हो जाने के फलस्वरूप हमेशा सड़क दुर्घटनाओं में जान–माल का खतरा बना हुआ है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से जनहित में उक्त पथांश के शीघ्र मरम्मति की मांग करता हूँ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : कटिहार जिला अंतर्गत कटिहार प्रखंड में नवसृजित विद्यालय, देवीपुर एवं मेहदेई तथा हसनगंज प्रखंड में बघवाकोल एवं सोहराडांगी भूमिहीन विद्यालयों को अन्य विद्यालय में समाहित कर दिए जाने के कारण संबंधित बच्चों के पठन–पाठन पर असर पड़ रहा है। उपरोक्त विद्यालय को भूमि उपलब्ध कराकर विद्यालय का परिचालन शीघ्र करावें।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड में 12 पंचायत प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से आर्थिक जान–माल एवं उनके पशुओं को काफी क्षति होती है। उनके लिए आधुनिक लेस युक्त आश्रय स्थल एवं पशुओं हेतु, समुचित चारा दवाई एवं अन्य उपयोगी दिनचर्या की वस्तु उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

श्री ललित नारायण मंडल : स्वास्थ्य विभाग में भी स्थायी और संविदा ए.एन.एम. तथा अन्य कर्मियों के लिए अविलंब एक पारदर्शी ट्रांसफर नीति बनाई जाए। वर्षों से अपने गृह जिले से दूर तैनात इन महिला कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार इन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण देकर राहत दे।

श्री रण विजय साहू : पटना के न्यू करबिगहिया निवासी बंटी यादव का दिनांक 06.07. 2026 को अपराधियों द्वारा अपहरण कर निर्मम हत्या कर दिया जिसका जक्कनपुर थाना कांड संख्या 467/26 है। अतः घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल से सजा एवं पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं।

श्री विशाल कुमार : पूर्वी चंपारण जिला मे सिकरहना नदी, पशाह नदी, दुधोरा नदी के तटबंध टूटने से रामपुर पंचायत, नरकटिया पंचायत और सिकरहना नदी बाढ़ आने से पूरे बंजारिया प्रखण्ड में बाढ़ कटाव होने से बहुत बड़ी आबादी प्रभावित है। मैं तत्काल बाढ़ राहत की मांग करता हूँ।

श्री रूहेल रंजन : नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड की ढेकवाहा पंचायत में लगभग 564 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक पार्क की स्थापना लंबे समय से लंबित है। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अतः परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य की मांग करता हूँ।

श्री संदीप सौरभ : नालंदा के नगरनौसा प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन पर 18–06–2026 को पुलिस द्वारा ग्रामीणों की बर्बर पिटाई, गिरफ्तारी, फर्जी मुकदमें, घरों में तोड़फोड़ की गई। नगरनौसा में डिग्री कॉलेज की स्थापना, उच्चस्तरीय जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई और निर्दोषों की रिहाई की गांग करता हूँ।

श्री रोहित पांडेय : भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवार अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। सरकार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत उपयुक्त भूमि चिन्हित कर आवासीय फ्लैटों का निर्माण कराए तथा वर्तमान बस्तियों का सुव्यवस्थित विकास एवं सौंदर्याकरण सुनिश्चित करे, जिससे सभी परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : गया जिला सहित गुरुआ, गुरारू, परैया प्रखंड में जलस्तर नीचे जाने से ग्रामीणों को पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जलस्तर नीचे जाने से अधिकतर हैंडपाइप काम करना बंद कर दिया है। पेयजल की समस्या के निदान के लिये सदन में सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।

श्री विष्णु देव पासवान : सहायक लेखा प्रबंधकों को पिछले 12 वर्षों में 3 बार वेतन वृद्धि मिली है, जबकि विभागीय प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि देय है और सहायक आई. टी. मैनेजर को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि मिलती है। सहायक लेखा प्रबंधकों को भी नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

श्री नीरज कुमार सिंह : सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर प्रखण्ड में चैनपुर से टेंगरी को जोड़ने के लिए हाई लेवल ब्रिज के निर्माण की निविदा पूर्व में प्रकाशित की गई थी जिसे रद्द कर दिया है। मेरी मांग है की इस निविदा को अविलंब पुनः प्रकाशित किया जाए ताकि शीघ्र कार्यारंभ हो सके।

श्री इन्द्रदेव सिंह : सिवान जिला अन्तर्गत बडहरिया विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक भी सरकारी आईटीआई नहीं है, क्षेत्र सहित आस–पास के युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूर–दूर तक जाना पड़ता है। अतः बडहरिया विधानसभा क्षेत्र में सरकारी आईटीआई की मांग करता हूँ।

श्रीमती गायत्री देवी : सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में वर्षा कम होने से जलस्तर नीचे चले जाने के कारण चापाकल सूख गया है, पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अतः परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में 200 नया चापाकल लगाने की मांग सरकार से करती हूं।

श्री पप्पू कुमार वर्मा : अरवल जिले के कुर्था विधानसभा अंतर्गत करपी कुर्था सड़क मार्ग बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इसका निर्माण कार्य बहुत दिन से रुका पड़ा है इसके जल्द से जल्द निर्माण के लिए महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड के चिरैया–सेमरा से सेमरा शिकारगंज भारत माला सड़क तक 8.1km सड़क जर्जर एवं संकीर्ण हो गई है जिससे आमजन को आवागमन में भारी कठिनायी हो रही है, सड़क चौड़ीकरण कराने हेतु सदन के माध्यम से मांग करता हूँ।

श्री माधव आनंद : मधुबनी विधानसभा क्षेत्र–36 के अंतर्गत दहीवत माधोपुर पश्चिमी पंचायत, ग्राम सलेमपुर, सलेमपुर हॉल्ट के समीप स्थित वार्ड संख्या–10 की

अत्यंत गंभीर जनसमस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यहाँ सर्व मौसमीय पक्की सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

श्री संजय कुमार पांडेय : नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के बाजार समिति के मुख्य द्वार से एफसीआई गोदाम तक जाने वाली सड़क भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण पूरी तरह जर्जर एवं गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जिससे व्यवसायी और आम जन को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

श्री प्रकाश चंद्र : दाउदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस नहीं होने से मृतकों के परिजनों को औरंगाबाद भेजना पड़ता है। अतः सरकार से दाउदनगर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में अतिशीघ्र पोस्टमार्टम हाउस स्थापित करने की माँग करता हूँ।

श्रीमती अनिता : IMD के हालिया रिपोर्टों के अनुसार नवादा जिला सहित पूरे बिहार में जुलाई 2026 के मध्य तक सामान्य से लगभग 46 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। जिसके कारण धान की रोपनी बाधित है। अतः नवादा सहित बिहार के सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को आर्थिक सहायता दिलवाने की माँग करती हूँ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–14 / संगीता / 21.07.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसको लाया गया है लेकिन लाने में जो जल्दीबाजी की गई है उसको लेकर हमें लगता है कि जनमत जानने हेतु इसको परिचालित करें । महोदय, कुछ बातें जो इस विधेयक में स्पष्ट नहीं हैं, खासकर गेम ऑफ चांस की, अब कोई लूडो खेल रहा है, उसमें टेक्निकली या कोई चेस खेल रहा है, उसमें अगर कोई जुआ हो रहा है तो उसको कैसे आप करेंगे ? साइबर का इसमें है, महोदय जो भी जुआ हो रहा है, यहां बैठकर बी0पी0एल0 लगाकर कोई चाइना का कर सकता है, कोई अमेरिका का कर सकता है, उसका प्रावधान अलग से नहीं किया गया है कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे । इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि बिना वारंट के पुलिस पदाधिकारी जायेगा और किसी को भी पकड़ लेगा । अब इसी सदन में बहुत सारे सदस्य होंगे जिनके मोबाइल में अनेक तरह के गेम्स होंगे, उसमें कुछ जुआ भी होगा, कुछ नहीं भी होगा तो उसके बारे में स्पष्टता नहीं दी गई है कि किसी को भी पकड़िएगा उठाकर, आज आप सत्ता में हैं कल आप नहीं रहिएगा तो कुछ भी घटना–दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है । इसके अलावा जो भी आपने दिया कि सीजर में बैंक का जो अकाउंट होगा तुरंत फ्रीज कर देंगे तो आपने कहा कि ये फंलाना आदमी इसमें संलिप्त है और उसके बाद आप बिना उसको देखे हुए उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया तो उसमें स्पष्टता लानी होगी । जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी की भी एक धारा में है अब कौन इसमें तय करेगा कि गिल्टी है कि नहीं है । जो हमारे संविधान का मूल है कि जब तक आपको गिल्टी कोर्ट के द्वारा नहीं कह दिया जाता तब तक आप निर्दोष हैं, उसका क्या होगा ? उसका उल्लंघन है । इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि जब आप पब्लिक के बीच में जायेंगे तो आपको जानकारी होगा क्योंकि यह हर जगह नुक्कड़, चौराहे, कॉर्नर में, टैम्पू स्टैंड में इस तरह के कार्य हो रहे हैं । इसलिए इसको लेकर बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही समझदारी से इसको लेकर चलना चाहिए । इसके अलावा सजा को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान इसमें हैं, जिसमें हमें लगता है कि सजा और कड़ी होनी चाहिए क्योंकि इसमें भविष्य का भी सवाल है। तो एमदम काफी तेजी से, पता नहीं वेटिंग भी इन्होंने ढंग से कराया है कि नहीं कराया है कि लाना है तो ले आओ उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा । तो यह कहीं न कहीं जो कानून का उल्लंघन है, जिसके लिए हम सभी सदन में बैठे हैं उसको लेकर यह चुनौती देता है इसलिए महोदय, हमारी मांग है या हम कहते हैं, हमारा प्रस्ताव है कि इस पूरे विधेयक को आप जनमत जानने के लिए पब्लिक के अंदर परिचालित करें ताकि पब्लिक से भी इसके बारे में आए ताकि लोग बता सकें कि इसका दुरूपयोग किसी स्तर पर न हो सके । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 (अनुसूची–ए सहित), 3, 4, 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 (अनुसूची–ए सहित), 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 (अनुसूची–ए सहित), 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बना।

खंड–7 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं मूव करूंगा । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–7 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''छह माह'' के स्थान पर शब्द समूह ''02 वर्ष'' तथा शब्द ''दस'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

मैं सरकार को मुबारकवाद देता हूं कि जुआ जैसे समाज को बिगाड़ने वाले खेल पर इसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान किया है लेकिन खंड–7 में जो सिर्फ उनको बहुत कम जुर्माना है, 10 हजार रुपया है छह महीना के लिए यह काफी नहीं है । आज जुआ में और नशे में बच्चे बिगड़ रहे हैं और नौजवान बिगड़ रहे हैं तो उसकी कम से कम जुर्माना 25 हजार होनी चाहिए और सजा 2 साल होनी चाहिए ताकि ऐसी सजा मिल जाए कि ऐसे लोग इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं हों । जुआरी, शराबी कम से कम सदन में न आ सके उसके लिए बहुत ही कठोर सजा होगी इसलिए इस प्रावधान को किया जाए। हाउस इसका समर्थन कर रहा है, मंत्री जी सर हिला दिए इसलिए इस संशोधन को स्वीकार किया जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–7 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''छह माह'' के स्थान पर शब्द समूह ''02 वर्ष'' तथा शब्द ''दस'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–7 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–8 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–8 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–9 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं मूव करूंगा । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक के खंड–9 के उप खंड–(ii) के अन्त में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए :–

"साथ ही नियमानुसार कारावास की अवधि एवं जुर्माना की राशि अधिरोपित होगी । "

इस संबंध में खंड–9 के ताल्लुक से मेरा यह कहना है कि कोई अगर असंगठित क्षेत्र का आदमी जुआ खेलता है तो उसका 25 हजार, 10 हजार या छह महीना, हमारे मशवरे को अगर नहीं मानते हैं तो अब ऐसा ही करेंगे आप लेकिन जो कंपनी के जरिए से खेल खेला जा रहा है और खास करके जो साइबर क्राइम हो रहा है, तो कंपनी के जरिए से उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके मैनेजर के जरिए से कुछ त्रुटि हो तो उसको सजा दी जाएगी लेकिन उल्लेख नहीं है कि उसकी सजा कैसी होगी इसलिए इसका उल्लेख होना चाहिए । कंपनी का क्राइम बड़ा क्राइम होगा और उसमें काफी लोगों के खाते खाली हो जाते हैं तो कम से कम उसकी सजा कठोर से कठोर किया जाए ओर उसका उल्लेख किया जाए कि उसको कितने दिनों का जुर्माना होगा, ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए कम से कम तो जुर्माना कितना होगा, सजा कितने दिनों की होगी ? अगर ऐसा नहीं करके कंपनी को सरकार बचाना चाहती है क्या, सरकार की नीयत पर मैं शक नहीं करता हूं लेकिन सरकार से भी शह होती है इसको मानता हूं । आपने गया में कहा है कि आपलोग संशोधन दीजिएगा तो मनवायेंगे । सर, यह घड़ी मनवाने की है इसलिए इसको मनवा लिया जाए सर ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–9 के उप खंड–(ii) के अन्त में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए :–

''साथ ही नियमानुसार कारावास की अवधि एवं जुर्माना की राशि अधिरोपित होगी । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–10 से 21 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–10 से 21 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–10 से 21 इस विधेयक का अंग बनें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–15/यानपति/21.07.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

महोदय, मैं आभारी हूं पूरे सदन का और विषेष रूप से जो दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार संशोधन के रूप में रखे हैं उनको भी मैं

धन्यवाद इसलिए देता हूं कि कम से कम विधेयक के बारे में सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया, मंशा साफ ही माना है। कहा कि इस विधेयक की आवश्यकता थी और महोदय आवश्यकता इसलिए थी कि ये कानून जिसको हटाकर हमलोग ये नया कानून बना रहे हैं वह 1867 का था जुआ कानून, उसका नाम होता था सार्वजनिक जुआ अधिनियम, जो बंगाल जुआ अधिनियम–2 के नाम से जाना जाता था, 1867 का था और महोदय ये बंगाल प्रेसिडेंसी के टाइम में था जब बिहार, उड़ीसा अब तो झारखंड भी हो गया, ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंग हुआ करते थे। उस समय स्वाभाविक रूप से यहां भी लागू हो गया था लेकिन धीरे–धीरे जैसे जुआ खेलने का तरीका बदलता गया या जुआ खेलने के तौर–तरीके या उनके जो, जैसे–जैसे लोग, जैसी–जैसी संस्थाएं उसमें भी आजकल जितना आई0टी0, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जब तकनीक के माध्यम से भी जुआ खेला जाने लगा तो महसूस किया गया कि इसमें संशोधन ही नहीं बल्कि आवश्यकता तो संशोधन की थी लेकिन इतना पुराना था कि हमलोगों ने उसको निरसित करके, उसको हटाकर बिल्कुल नया ये अभी जो विधेयक हमलोगों ने लाया है सदन की मंजूरी के लिए और उसमें जो हमारे सदस्य राहुल जी ने जो चिंता व्यक्त की है महोदय उनको इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए इसलिए कि इसमें तो जुआ खेलनेवाले को सजा मिले इससे तो पूरे सदन में किसी को इंकार नहीं हो सकता है और आजकल आप सबको पता है अभी वो भी कह रहे थे राहुल जी कि सबके मोबाइल में महोदय, आपके सदन में बैठे–बैठे, अगर आप इजाजत दीजिए, हालांकि आप इजाजत नहीं देते हैं तो लोग इस सदन से बाहर उठकर, जाकर लॉबी में बैठकर मोबाइल पर जुआ खेलकर सदन में आ सकते हैं, ये इस तरह के जुआ के तरीके का परिवर्तन हुआ है और ये पुराने अधिनियम में जिससे अभीतक हमलोग चल रहे थे और ठीक कहा राहुल जी ने कि यह सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है इसलिए सभी राज्य अपने–अपने क्षेत्र में इससे संबंधित जो नये कानून हैं उसको जल्दी से लागू करे और आपका ये राहुल जी 1867 के कानून को हमलोग 2026 में बदल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी में ले आए हैं। अब इससे ज्यादा धैर्य से हमलोग इससे ज्यादा स्थिर से महोदय क्या लायेंगे और महोदय लाये हैं तो सोच–समझकर लाए हैं, इसमें जितने भी जो कहे हैं महोदय कि ये उस समय का कानून, आजकल तो कितना चीज है, इंटरनेट है, अभी कहे थे मोबाइल एप्लिकेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाईन भुगतान है, आधुनिक माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है महोदय और इनसे सब चीजों पर प्रभावी नियंत्रण हो इसके लिए ये नया कानून महोदय हमलोग बनाने की इच्छा रखते हैं महोदय और जुआ का तो स्वरूप ही बदल गया है, अब तो बैठकर पुराने कानून में जुआ खेलने का

तरीका सिर्फ दो ही लिखा है एक ताश, एक पाशा अब समझिए ताश और पाशे के जुए को तो लोग भूलते जा रहे हैं नए–नए तकनीक से जुआ खेलते हैं तो उनको अपराध की जो प्रवृत्ति है और आपराधिक जो कृत्य हैं उनके कामों को भी आपराधिक श्रेणी में डालने के लिए ये महोदय यह कानून अत्यावश्यक हो गया था इसलिए उस तरह के और हमारे आप ही कह रहे थे या कोई कह रहे थे या अखतरूल जी कह रहे थे कि जो जुआ खेलने वाले संगठन या कंपनी जो है यही आप जो चाह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, कंपनी इसमें समझ लीजिए, जितना जुआघर संचालक हैं, प्रबंधक हैं या उनको किसी रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और महोदय इसमें यहां तक कि बैंक के माध्यम से भी कोई पेमेंट होता है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और उसके माध्यम से जुआ खेलवाते हैं, लोगों को लुटवाते हैं और खुद कमीषन खाते हैं, ऐसे लोगों के इलाज की भी महोदय इसमें पूर्ण व्यवस्था की गई है। और सब में जो आप कह रहे थे कि इसका दुरुपयोग होगा, उसकी भी सरकार को संज्ञान है, इसमें एक स्तर से नीचे के अधिकारी को वह पकड़ने का अधिकार नहीं है और अब महोदय ये सब चीजों के साथ जहां पर पकड़ाएंगे और अखतरूल जी का अमेंडमेंट, आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं कि आपने सजा बढ़ाने को कहा है, ठीक है आपके मनमाफिक इसको हमलोग वहां तक नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन ये आप सोच लीजिए कि आपकी जो मंशा है सरकार उसी मंशा से, पहले जो प्रावधान था सजा का हमलोगों ने उसको बढ़ाया है, इसलिए हमलोग आपकी मंशा के मुताबिक ही काम कर रहे हैं और बल्कि आपने जो कहा है, जो उसको बढ़ाने के लिए। महोदय, इसमें भी है कि जो पहली बार करेगा उसके लिए सजा अलग है और पश्चातवर्ती अपराध जो करेगा, जो आप कह रहे थे कि 6 महीना को दो साल कर दीजिए तो पष्चातवर्ती अपराध, मतलब फिर से करेगा जो हेवीचुअल हो जायेगा उसके लिए आप ही के मन के हिसाब से दो वर्ष जो आपने सुझाव दिया है, उनके लिए हमलोगों ने इसमें प्रावधान किया है। इसलिए आपकी मंशा भी इसमें हमलोगों ने शामिल की है और हमारे समझ से महोदय ये तो सदन को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए क्योंकि जुआ खेलना अपराध है, ये सब आदमी जानते हैं, मानते हैं और भावना भी लगभग वही रही है और तलाशी, जब्ती इन सबका तो इसमें प्रावधान किया ही गया है। खासतौर से जो आजकल जुआ खेलकर बहुत ही आसानी से विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाईन एप्लिकेशन हो इन सबके माध्यम से खेलकर महोदय, इनका वॉल्यूम भी, पैसा भी बहुत लगता था जुए के दांव पर जो कहते हैं, स्टेक पर और ताष के जुआ में तो कम ही पैसा में लोग खेल लेते थे इसमें तो एक डील में लाखों, करोड़ों निकल जाता है, ऐसे को और इसमें जो बैंक सहयोग करेगी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो चलाते हैं, जो संचालक हैं, जो अखतरूल जी कह रहे

थे, आप कंपनी की बात कह रहे थे, वही संचालक कंपनी बनाता है इसलिए उन सबके लिए इसमें अच्छे से दंड का प्रावधान भी किया गया है। महोदय, ये पूरे बिहार के हित में है, आम जनता के हित में है और समाज से एक कुरीति और बुराई को दूर करने का ये विधेयक है, इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से पारित करने की सदन कृपा करे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

टर्न–16 / मुकुल / 21.07.2026

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा और महोदय, जी0एस0टी0 काउंसिल में जो भारत सरकार तय करती है उसको हमलोग फिर करते हैं । उसी में महोदय जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जो क्रेडिट नोट शर्तों की अस्पष्टता की स्थिति में है । क्योंकि आप देखेंगे महोदय कि जब आपूर्ति के बाद दी जाने वाली छूट को टैक्स योग्य मूल्य से घटाने की अनुमति केवल तभी मिलेगा जब पूर्तिकार धारा 34 के अनुसार क्रेडिट नोट जारी कर, प्राप्तिकर्ता से उससे जुड़ा इनपुट कर प्रत्यय या आई0टी0सी0, इनपुट टैक्स क्रेडिट दर्ज करेंगे ।

महोदय, अगर पूर्तिकर्ता ने क्रेडिट नोट जारी कर दिया लेकिन प्राप्तिकर्ता जो खरीददार है, उसने अगर क्रेडिट नोट को जी0एस0टी0आर0–3बी फॉर्म में नहीं दर्ज किया तो उसका जो है एक की गलती दूसरे को सजा होती है । महोदय, इसको लेकर एक स्पष्टता इसमें रहनी चाहिए, क्योंकि आपके यहां लोग रोजगार कर रहे हैं, अन्य राज्यों ने किया, नहीं किया लेकिन आपके यहां तो इसको लेकर, क्योंकि इसमें जो आपने एक आर्बिट्रेरी ढंग से जो अपने टैक्स कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर हैं उनको जो आपने छूट दे रखी जिसके चलते हमेशा एस0जी0एस0टी0 की बात जो आती है तो अपने हिसाब से वे टैक्स बना देते हैं, फिर बाद में लोग अपील में जाते हैं, अपील में जाने के बाद जो भी हमारे व्यापारी हैं उनका दोहन होता है तो इसको लेकर महोदय, एक स्पष्टता इसमें होनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्राप्तिकर्ता हैं, खरीददार हैं और दोनों सप्लायर और प्रोवाइडर दोनों को लेकर एक स्पष्टता होनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जनमत जानने के लिए एक बार परिचालित किया जाए ताकि लोगों का भी इसमें सुझाव आ सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2, 3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं जी0एस0टी0 परिषद् की अनुशंसा के आलोक में वित्त अधिनियम, 2026 के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किये गये थे । जी0एस0टी0 एक राष्ट्रीय प्रणाली है, इस कारण समरूपता हेतु बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में भी संशोधन किया जा रहा है । बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 में जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–15 एवं 54 में संशोधन मुख्य है । धारा–15 में संशोधन किये जाने से डिस्काउंट के संबंध में स्पष्टता आयेगी, पूर्व में 90 प्रतिशत प्रॉविजनल रिफंड की सुविधा सिर्फ निर्यातकों को उपलब्ध थी । धारा–54 में संशोधन किये जाने से एक अन्य महत्वपूर्ण मामले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी यह सुविधा प्राप्त हो जायेगी । इस प्रकार यह विधेयक एक जनोपयोगी विधेयक है । अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे पारित करने की कृपा की जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

<u>बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026</u>

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः माननीय प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

<u>विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श</u>

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 के सिद्धान्त पर विमर्श हो।''

महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2010 के अधिनियम को तो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा, लेकिन मैंने बड़ी तालाश की कि 07.07.2026 को जो अध्यादेश जारी हुआ उसकी कॉपी हमको नहीं मिल पायी, जबकि यह गंभीर मसला है, हम यदि कानून बना रहे हैं तो उस पर सारे एस्पेक्ट हमारे सामने आयें, उसके लिए अध्ययन का मौका होना चाहिए था लेकिन वह नहीं किया गया । मैं तो सदन से पहले यह गुजारिश करूंगा कि जो विधायक इसमें हिस्सा लें उनको जरूरी कागजात मुहैया कराया जाए ताकि वे बहस में सही

तौर पर हिस्सा ले सकें । मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस वक्त बिहार इंडस्ट्रीयलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहा है और उसके लिए जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि का उद्योग के लिए हुआ, कॉमर्शियल यूज के लिए हुआ, आसानी से उसको लिया जाए, जो 2010 में कुछ कठिनाइयां थीं एस0डी0एम0 से परमिशन लेनी पड़ती थी उसका इन्होंने निरसन किया है । लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं गरीब किसानों की जमीन को बहुत आसानी से ले लिया जायेगा, जिस तरह से इंडस्ट्रीज के नाम पर आप जमीन का अधिग्रहण करेंगे, बियाडा की जमीन को आप नोटिफाई करेंगे तो उसमें यह होगा कि आप जब मुआवजा देते हैं किसानों को तो आज के वैल्यू में जो सर्किल रेट है उसके वैल्यू से देते हैं, लेकिन जब आप उसको यानी कृषि भूमि को कॉमर्शियल यूज के लिए या इंडस्ट्रीज के यूज के लिए लेंगे तो जाहिर है उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसके चार गुना, पांच गुना कम से कम किसानों को दिया जाना चाहिए । इसका उल्लेख, चूंकि मैं इस अध्यादेश को नहीं पढ़ सका हूं, वह नहीं हो सका है । मैं चाहूंगा कि इस पर विचार हो और इसका उल्लेख करें माननीय मुख्यमंत्री, ताकि सदन यह जान सके । एक अच्छा कदम वे बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कृषकों की जमीन को बड़ी आसानी से ले लिया जाए, मुझे इस बात का भय है कि बिहार का कृषक समाज वैसे ही गरीब है और वह वैसे ही दौड़ रहा है तो उसको दिक्कत न हो, मैं उसी की भलाई के लिए यह बात जानना चाह रहा हूं कि इस पर व्यापक मंत्री जी इसका उल्लेख करें ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव मूव नहीं करूंगा ।

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–17/सुरज/21.07.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

महोदय, अभी माननीय सदस्य अखतरूल ईमान साहब ने कुछ चिंता जाहिर किया । थोड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि बिहार राज्य कृषि भूमि के गैर–कृषि प्रयोजनों हेतु सम्परिवर्त्तन के लिए तथा उससे सम्बद्ध एवं अनुषंगी मामलों को अधिनियमित करने के लिये बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 प्रवृत्त है ।

विभिन्न विभागीय बैठकों में उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उनके प्रभावों तथा क्रियान्वयन की सम्यक समीक्षा की गई । समीक्षा में यह पाया गया कि इस अधिनियम के कारण राज्य को आशा के अनुरूप प्रप्तियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं। राज्य में "Ease of Doing Business और Ease of Living" के उद्देश्यों की पूर्ति तथा तीव्र औद्योगिकीकरण के दिशा में कतिपय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है । तद्पोरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्य में ऐसा कोई अधिनियम नहीं होना चाहिए, जिससे कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु सम्परिवर्त्तन कराने की अनुमति आवश्यक हो । अभी बहुत दिक्कत होती थी लोगों को सम्परिवर्त्तन कराने में । साथ ही, अध्यादेश के माध्यम से उक्त

अधिनियम को निरसित करने का निर्णय लिया गया और उक्त आलोक में बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश 04, 2026) द्वारा प्रख्यापित है तथा बिहार गजट असाधारण अंक 742, दिनांक–07.07.2026 में प्रकाशित है ।

उक्त कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्त्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026 जिसके माध्यम से बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्त्तन) जो अधिनियम, 2010 है उसको निरसित किया गया और विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है । इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् बिहार राज्य में बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम, 2010 निरसित हो जायेगा और लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी, किसी तरह का एन0ओ0सी0 या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

अतः बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 अधिनियमित किया जाना आवश्यक है ।

यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य तथा अभीष्ठ लक्ष्य एवं हेतु है । अतः इसको स्वीकृत किया जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार एवं राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, यह जो विधेयक लेकर आये हैं तो आप पहले से ही रजिस्ट्री के टाइम में लैंड लॉर्ड फी लेते ही हैं । उसके अलावा भी कई स्तर पर, अभी–भी आपने डेढ़ गुणा रजिस्ट्री शुल्क लागू किया । अल्टीमेटली तो पैसा सरकार के खाते में ही जा रहा है । अपील में आप लें समझ में आता है कि हमने बार–बार अपील किया, किसी को चेंज करने के लिये किया तो समझ में आता है । लेकिन जब मैं भूमि खरीद रहा हूं तो हमने पहले ही आपको पैसा दिया हुआ है और लैंड लॉर्ड फी के रूप में भी लिया जाता है तो यह अलग से फी का कोई मतलब नहीं है । इससे साफ दिखता है कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है । तो एक अधिसूचना जारी कर दीजिये कि जितने लोग हैं सबका चमड़ा उतरवाइये जितना पब्लिक है, विधायक सहित और जुता बनवाकर विदेश में बेचिये, जो पैसा है उसी से राज्य चलाइये । यही तो इसका दिख रहा है, यही तो मानसिकता आपकी है । कम से कम जब लाते हैं दौ सौ रुपया, पहले से ही आपका जितना दाखिल खारिज का देख लीजिये कितना है ? पांच–पांच हजार रुपया एक–एक से नाजायज रूप से पैसा लिया जा रहा है, कहां गया ? वह तो नाजायज रूप से आप पैसा ले ही रहे हैं तो और उसमें दो सौ रुपया बढ़ा दिये कि नाजायज ले ही रहे हैं तो जायज भी हम बढ़ा दें । तो इस तरह की व्यवस्था आप कर रहे हैं और बाकी आपने अभी तक यह समीक्षा नहीं की कि कितना दाखिल–खारिज अभी तक लंबित है, किन कारणों से लंबित है ? एक दाखिल–खारिज खत्म कर देता है तो आगे बढ़ जाता है, उसका खर्चा डबल हो जाता है । तो इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये तो दौ सौ रुपया बढ़ाकर यह अपने–आप को महान समझ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जनमत से आग्रह करने के लिये इसको भेजा जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड–2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के अंक ''200'' के स्थान पर अंक ''50'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्ति है सरकार को जो करवा ले । मेरी जिम्मेदारी है कि आवाम की बात को मैं रखूंगा । मामला यह है कि इस वक्त बिहार की जनता विभिन्न किस्म की टैक्स दे रही है और जमीन के नाम पर अभी सर्किल रेट तो नहीं बढ़ाया लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इसने बढ़ा दिया, मालगुजारी बढ़ा दी । जिस एक एकड़ जमीन का 10 रुपया लगता था, वहां पर आज 10 गुणा ज्यादा बढ़ गया और उस पर इनका दिल नहीं भरा । कर्मचारी तो लूट ही रहा है पांच हजार, सात हजार और नहीं हो सका अगर म्यूटेशन, डी0सी0एल0आर0 के यहां चला गया तो 25 हजार उसमें लिया जा रहा है । सर, मैं यह कह रहा हूं कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिये काम करे । मैं मंत्री जी के मंशे पर शक नहीं करता लेकिन चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर क्राइसिस से दो–चार हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे क्रोध में आ जाते हैं । यह सारा कुछ उन्हीं का सिखाया–पढ़ाया हुआ है । यह कभी नहीं चाहेंगे कि गांव के गरीबों को जमीन खरीदें हैं दो कट्ठा और उसके लिये वह जाएं म्यूटेशन कराने के लिये तो दो सौ रुपया फीस देंगे । अगर नहीं भरता है तो मैं बिहार के गरीबों की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं अगर लेना ही है तो दानोपरांत कम से कम 50 रुपया लीजिये, 200 रुपया मत लीजिये गरीबों से । गरीब की आह मत मोहिये । मरे बकरी की खाल से लोहा भस्म हो जाता है । इसका ख्याल रखिये कम से कम और इसको मानिये, जरूर मानिये, कोई बात तो नहीं मानते हैं लेकिन कम से कम यह कर दीजिये नहीं होता है तो जो बेचारा पांच डिसमिल, सात डिसमिल निवास के लिये खरीद रहा है उसको

मुक्ति प्रदान कर दीजिये । कुछ न कुछ मशवरा हमलोगों का भी मानिये सर, सारी बात सरकार की नहीं मानी जायेगी सर ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी पंक्ति के अंक ''200'' के स्थान पर अंक ''50'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–18 / धिरेन्द्र / 21.07.2026

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

महोदय, राज्य में भूमि का दाखिल–खारिज हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारिज (यथा संशोधित) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) प्रवृत्त है, उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 अधिसूचित है ।

अभी दो–तीन बातें सदन में आयीं । एक तो हमारे माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्य नहीं कह कर, अब मैं कुछ बताना चाहूंगा कि एक फोबिया हो गया

है बिहार में अभी, और विशेषकर विपक्ष के सदस्यों को कि खजाना खाली है । विशेष कर, एक फोबिया हो गया है कि खजाना खाली है....

(व्यवधान)

एक मिनट । विपक्ष को....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति–शांति । मंत्री जी, आप आसन की ओर देखिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, विपक्ष को एक फोबिया हो गया है और यह बीमारी जो है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप आसन की ओर देखिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, यह बीमारी बहुत खतरनाक है । हुजूर, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इसका ईलाज हम बता रहे हैं । एक बार सुन लीजिये, फोबिया का ईलाज हम बता देते हैं । इनको पहले जानना चाहिए कि अभी जो सरकार के द्वारा लगातार जिस तरह के विकास के काम किये जा रहे हैं, कभी आपने जिंदगी में देखा था क्या ? पूर्णियां, कभी सोचे थे क्या कि....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति–शांति । बिना अनुमति के कृपया नहीं बोलें । आलोक बाबू, बैठ जाइये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, बिहार का विकास इस तरह से दौड़ेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये । बिना अनुमति के कृपया मत बोलिये । राहुल जी, बैठे–बैठे मत बोलिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, कभी आपने सोचा था कि चरवाहा विद्यालय से और बिहार को दुर्गति की ओर ले जाने का काम आपलोगों ने किया । आज आपलोगों को तो कैसे, कोई औचित्य नहीं है कुछ बोलने का ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आसन की ओर देखिये । आप आसन की ओर देखिये, इधर देखिये । प्लीज बैठे–बैठे मत बोलिये । राहुल जी, बैठ कर मत बोलिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है । राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्व की वृद्धि आवश्यक है ।

अब माननीय अखतरूल ईमान साहब ने कहा कि गरीब 200 रुपया कहां से देगा । गरीब जमीन नहीं खरीदता है...

(व्यवधान)

एक मिनट–एक मिनट, सुन लिया जाय । गरीब को जमीन, भूमिहीन को बिहार सरकार तीन डिसमिल जमीन देती है जिसका किसी तरह का कोई वासगीत पर्चा का म्यूटेशन नहीं होता है और दूसरा यह कि जो आदमी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाकर जमीन खरीदता है वह दो सौ रुपया देकर अपना दाखिल–खारिज नहीं करा सकता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : 15 अगस्त को मिलने जा रहा है । बैठ जाइये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है...

(व्यवधान)

एक बार सुन लीजिये कान खोल कर । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि हम 30 हजार गरीब भूमिहीन को 15 अगस्त तक, हमारा टारगेट है कि 30 हजार भूमिहीन को हम वासगीत पर्चा देंगे और...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अजय बाबू, बैठ जाइये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, विपक्ष के साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आजादी से 60 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप कंक्लूड करें ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, आजादी के 60 वर्ष तक आपने मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम नहीं किया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कंक्लूड करें । आलोक बाबू, बैठिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : आपने रोटी, कपड़ा और मकान देने का भी काम आजादी के 60 साल तक नहीं किया । शर्म आनी चाहिए इस बात को सुन कर कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को आपने पूरा करने का काम नहीं किया और आज जब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा देने का काम किया जा रहा है तब आपलोगों को फोबिया आ रहा है । फोबिया के रोगी हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । प्लीज बैठिये, प्लीज बैठ जाइये । मंत्री जी, कंक्लूड कीजिये, आप आसन की ओर देखिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, अंत में मैं, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है ।

अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि इसे पारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

एक मिनट रूक जाइये ।

माननीय सदस्यगण, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि कल माननीय मंत्री निशांत जी का जन्मदिन था । कल माननीय मंत्री विधान परिषद् में उपस्थित थे इसलिए आज मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ । आपका यह जन्मदिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, खुशियां और सफलताओं का संदेश लेकर आये तथा आप सदैव जन सेवा के पथ पर अग्रसर रहें । यह हमारी शुभकामना है ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ । साथ ही, सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार, स॰वि॰स॰ एवं श्री राहुल कुमार, स॰वि॰स॰ द्वारा जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव मूव करूंगा । महोदय, मैं सिर्फ सुझाव दूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में बोल दीजिये ।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का जो आज पहला दिन सदन में है और बिल के रूप में ला रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत–बहुत शुभकामनाएं पूरे विपक्ष की ओर से है और हमलोगों का जो भी सहयोग होगा, उनको मिलेगा ।

महोदय, यह संशोधन जो आया है वह महत्वपूर्ण संशोधन है । बिहार की आवश्यकता भी है, जिस प्रकार से बिहार में प्राइवेट, सरकारी मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं तो हमलोगों को आवश्यकता भी होगी । कुछ व्यवहारिक जो बिन्दु हैं उसको मैं प्वाईंट आउट कर देना चाहता हूँ । महोदय, अगर कोई डॉक्टर यहां स्व–घोषित प्रमाण–पत्र देता है और कहता है कि मैं यहां प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो जिस राज्य से वह रजिस्टर्ड है, एन॰एम॰सी॰ में, उसके बारे में इसमें कोई क्लीयरिटी नहीं दी गई है । उस राज्य से उनको अगर किसी मिसकंडक्ट में या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो उसका यहां पर कैसे संधारण होगा । इसके अलावा वैसे जो भी डॉक्टर हैं क्योंकि यह मेडिकल लीगल केस भी बाद में बनेगा, चिकित्सा सिर्फ एक रोजगार का साधन नहीं है, मेडिकल लीगल केस भी बनता है तो बाद में उसको हमलोग कैसे लेते हैं तो इन सब चीजों पर कुछ संशोधन के प्रस्ताव आने थे । जिसके कारण हम चाहते थे कि इसको जनमत के लिए भेजा जाय लेकिन माननीय मंत्री को एक विशेष धन्यवाद देते हैं कि पहली बार वे सदन में आए और उनको हमारी शुभकामनाएं भी है । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड–2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–4 में प्रस्तावित नई धारा–17ए के अन्तःस्थापन को निम्नरूप में प्रतिस्थापित किया जाय ।

किसी भी चिकित्सक को बिना नये स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य चिकित्सा परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ । सर, मेडिकल का मसला है, आम जन से जुड़ा हुआ है और सरकार का इस तरह का संशोधन का प्रस्ताव लाना, वह इस बात को दर्शाता है कि सरकार डॉक्टर के मामले में बहुत कमजोर है । हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं, बिहार में मेडिकल कॉलेज की कमी है, बिहार की राशि आज बंगलादेश जा रही है, कजाकिस्तान जा रही है, बाहर से लोग डॉक्टर बन कर आ रहे हैं और यह डॉक्टर के कमी होने और बीमारों के अधिक होने के नतीजे में इस तरह का प्रस्ताव सरकार को लाना पड़ा है । बहरहाल सरकार की मजबूरी है, हम इस मजबूरी पर रोक लगाना नहीं चहाते हैं....

....क्रमशः....

टर्न–19 / अभिनीत / 21.07.2026

..क्रमशः..

श्री अखतरूल ईमान : हम सिर्फ दो प्रस्ताव देना चाहते हैं कि किसी भी चिकित्सक को बिना नये स्थानीय पंजीकरण या पूववर्ती राज्य चिकित्सा परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा । महोदय, कहीं से कोई डॉक्टर आ जाता है । मुमकिन है कहीं वो पेट में कैंची छोड़कर आया है, कहीं गलत सर्टिफिकेट लेकर आ गया है । अभी हमारे पूर्णियां मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया है, वह जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था, तो कोई भी हमारे शहर में आकर यहां इलाज करेगा सर, जीवन का मसला है सर । आया हुआ डॉक्टर सही है या नकली है, कम से कम लोकल स्तर पर उसका पंजीकरण होना चाहिए या किसी अदर स्टेट से वह आया है तो वहां का एन0ओ0सी0 उसके लिए अनिवार्य हो सर । मैं समझता हूं कि सिर्फ नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम होना जरूरी नहीं है, बल्कि वह जब हमारे शहर में आये तो फिर सी0एस0 है आपका तो कम से कम लोकल रजिस्ट्रेशन हो और उसके डिग्री की जांच–परख के बाद उसको बोर्ड लगाने दिया जाय, नहीं तो हमारे किशनगंज में क्या हो रहा है, सीमांचल में सफेद कपड़ा पहन लिया और नतीजा यह होता है कि वह

कंपाउंडर है या ड्रेसर है, वही ऑपरेशन कर देता है । एक डॉक्टर ऐसा भी मिला वहां पर कि वह रात भर नहीं सोता था, वह सिर्फ घुम–घुम कर और आठ–दस जगह पर उसका लगा हुआ था और बाद में पता चला कि यह जाली डॉक्टर था सर, इसलिए कम से कम लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाय सर । हमलोग रात–दिन रोते हैं सर । हमारे यहां पेसेंट की भीड़ रहती है, कैंसर का पेसेंट, जिसका कैंसर का इलाज नहीं करा पाता है, न्यूरो का सर्जन कैंसर का इलाज शुरू कर देता है सर, तो मेडिकल साइंस के मामले में बिहार में अभी बहुत सारी त्रुटियां हैं सर । जो फिजिशियन हैं सर वह सर्जरी का काम कर रहे हैं । जो सर्जन हैं वह फिजिशियन का काम कर रहे हैं । जो कैंसर रोग को नहीं जानते वह उसकी भी दवाई लिख रहे हैं, तो बड़ा भ्रष्ट है । मैं दो बात की दुआ करता हूं, माननीय मंत्री महोदय को उनके जन्मदिन पर दुआ भी देता हूं, लेकिन उनके जन्मदिन के साथ–साथ बिहार की जो मेडिकल सिस्टम है वह सही बने सर । उसके लिए प्रयास है कि कहीं से भी डॉक्टर डिग्री लेकर आये लेकिन उसका स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन होना और उसकी डिग्रियों की जांच–परख होनी जरूरी है सर ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–4 में प्रस्तावित नई धारा–17ए के अन्तःस्थापन को निम्नरूप में प्रतिस्थापित किया जाय ।

किसी भी चिकित्सक को बिना नये स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य चिकित्सा परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–5 एवं 6 इस विधेयक के अंग बनें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

महोदय, पूर्व में बिहार और उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने के इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी और अपने पुराने राज्य चिकित्सा परिषद् से एन0ओ0सी0 जमा करना होता था । इससे पेशेवर चिकित्सकों को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थाओं को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफी दिक्कत होती थी । उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग डी0पी0आई0आई0टी0 भारत सरकार ने व्यापक सुधार योजना के तहत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अनिवार्य किया । आपने सदस्य महोदय जो कहा था वह केंद्र सरकार के दिशा–निर्देश पर और भी दूसरे राज्यों में हो रहा है ।

इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद् या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र (एन0ओ0सी0) या अपने पिछले राज्य के पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य किये जाने हेतु कार्रवाई की जानी है । इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों के लिए विभिन्न राज्यों में आने–जाने एवं कार्य प्रणाली को आसान बनाना है ताकि नये चिकित्सीय संस्थानों का कार्य सरल हो । प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकिसकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वप्रमाणन प्रस्तुत किया है । स्वप्रमाणन का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को तथा बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वप्रमाणन प्रस्तुत करेंगे । मूल अधिनियम में नई धारा–17ए जोड़ी गयी है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा

पंजीकरण में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना एन0ओ0सी0 के केवल स्वप्रमाणान के बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे । स्वप्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाईन के माध्यम से की जायेगी । बिहार चिकित्सा निबंधन प्रबंधन, स्वप्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का प्रत्येक रजिस्टर संधारित होगा । यदि स्वप्रमाणन के आधार पर कोई चिकित्सक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कोई भी चिकित्सक पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद् को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद् और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी जायेगी । धारा–33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्वप्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया, दिशा–निर्देश तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएं निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गयी है । इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा बढ़ेगी, जिससे हम बिहार की जनता को ज्यादा बेहतर चिकित्सा सुविधा दे सकेंगे ।

सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, जैसा पिछला विधेयक था, यह भी है । यह नर्सेज के लिए है । इसमें महोदय, तीन–चार जो विसंगतियां हैं जिसका मुझे लगता है कि संधारण होना चाहिए, लेकिन जल्दी–जल्दी में उसका नहीं हो पाया, भौतिक सत्यापन जिसका था । अब कहीं और नर्सेज किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, अब वहां से उनको किस कारण से हटाया गया या वह खुद आ रही हैं इसके बारे में कुछ अलग से नहीं, अनुशासनक, दंडात्मक कार्रवाई के बारे में भी अलग से नहीं, फिर बी0एन0आर0सी0 को हमलोगों ने बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उस काउंसिल के भी अधिकार को हमने खत्म करने का प्रयास किया है, तो इन छोटे–छोटे मुद्‌दों पर महोदय, जब तक विस्तार से चर्चा नहीं होगी, लोगों से जाना नहीं जायेगा कि इस तरह के, कहां उसका दुरूपयोग हो पायेगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी बताया कि यह मेडिकल लीगल केस भी बनता है । कहां उनकी गलती से मरीजों की जान गयी है, तो उन सब चीजों को देखते हुए कम–से–कम टेक्नोलॉजी का समय है तो आप इसमें प्रावधान करते कि ऑल इंडिया लेवल पर एक डेटाबेस बनायेंगे जिसमें एक यूनिक आई0डी0 नर्सेज को भी और डॉक्टर्स को भी हमलोग देंगे ताकि उनका वैरिफिकेशन आसान हो जाये । पुराना समय तो है नहीं कि रजिस्टर से वैरिफिकेशन ही कराना जरूरी है, तो इन सब चीजों का प्रावधान करके इसको लाना चाहिए था । इसलिए महोदय, हमारा सुझाव है कि जनमत जानने हेतु इस बिल को भेजा जाय । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 से 5 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–2 से 5 तक इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–2 से 5 तक इस विधेयक का अंग बनें ।

टर्न–20/अंजली/21.07.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–1 इस विधेयक का अंगे बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री निशांत, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।"

पूर्व में बिहार एवं उड़ीसा नर्सेज पंजीकरण अधिनियम, 1935 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आने वाले किसी भी नर्स एवं अन्य समकक्ष स्वास्थ्यकर्मी को नया स्थानीय पंजीकरण कराना होता था तथा अपने पुराने राज्य नर्सिंग परिषद से एन0ओ0सी0 जमा करना होता था, इससे इन कर्मियों को बिहार में काम करने में काफी दिक्कत होती थी तथा राज्य के चिकित्सा संस्थानों को भी कठिनाई होती थी । भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निबंधन संबंधी

कठिनाइयों को दूर करने हेतु नीतिगत सुधारों को अनिवार्य माना । इसके तहत किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद या भारतीय उपचर्या परिषद आई0एन0सी0 में पूर्व से पंजीकृत किसी भी नर्स एवं अन्य समकक्ष कर्मी को बिहार राज्य में बिना किसी एन0ओ0सी0 या अपने पूर्ववत राज्य से पूर्व सहमति के बिना प्रैक्टिस करने की अनुमति दिए जाने हेतु कार्रवाई की जानी है । इसका उद्देश्य पेशेवर नर्स एवं अन्य के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्यप्रणाली को आसान बनाना है । प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्वप्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेशन का अर्थ है– भारतीय नर्सेज परिषद या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य के नर्सिंग परिषद में पंजीकृत नर्स एवं समकक्ष कर्मी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वप्रमाणन प्रस्तुत करेंगे । मूल अधिनियम में एक नई धारा 10 A जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद या किसी अन्य राज्य नर्सिंग परिषद के रजिस्टर में वैध रूप से पंजीकृत कोई भी नर्स एवं अन्य बिना किसी स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य नर्सिंग परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिहार राज्य में कानूनी रूप से नर्सिंग अभ्यास कर सकेंगे ।

बिहार राज्य नर्सिंग परिषद् स्वप्रमाणन के आधार पर राज्य में कार्यरत नर्सों एवं अन्य समकक्ष कर्मियों से संबंधित एक रजिस्टर का संकलन करेगी । यदि स्वप्रमाणन के आधार पर कार्यरत कोई भी नर्सिंग कर्मी पेशेवर कदाचर का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार राज्य के भीतर उसके नर्सिंग अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद अथवा भारतीय उपचर्या परिषद को दे दी जाएगी ।

धारा–17 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार को स्वप्रमाणन से संबंधित प्रपत्र, प्रक्रिया, दिशा–निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है, स्वप्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी । इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् राज्य के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित किसी भी नर्स एवं अन्य सेवा राज्य के आमजनों को प्राप्त हो सकेगी । सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026''

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राहुल कुमार : महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : मूव कर लीजिए ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026, दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, चीनी मिल इस राज्य में काफी अहम मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा भी रहा है लेकिन 22 वर्षों से सरकार है और हुआ क्या ? अंतिम में सरकार एक–एक चीनी मिल बेचने की स्थिति में आई हुई है, तो चलिए ठीक है, जो भी अच्छा करना चाहते हैं, हम उसके साथ हैं, लेकिन आप निजी कंपनियों को भूमि हस्तांतरित करने में क्या पारदर्शिता अपनाना चाहते हैं, इसके बारे में आपने नहीं बताया है । कॉम्पिटिटिव बिडिंग से देंगे या जिसको मर्जी उसको दे देंगे, क्या उसका आधार होगा ? उसके अलावा जो निजी क्षेत्र की संस्था है, उसको आप दे रहे हैं तो किस उद्योग के लिए देंगे ? क्या वह चीनी मिल ही लगाएगा या आज आपसे लिया और तीन साल बाद, चार साल बाद जाकर वहां रियल स्टेट की बड़ी सी बिल्डिंग बना देंगे, तो उसको लेकर

पारदर्शिता नहीं है कि वे उसका उपयोग क्या करेंगे ? क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण हुआ था, जब भी जमीन अधिग्रहण हुआ था तो किसानों को कहा गया था कि इसमें चीनी मिल चलेगा, कुछ दिन चला भी होगा, लेकिन आज की स्थिति वह नहीं है, तो यह कल एक लीगल केस भी बन सकता है, लोग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमने जमीन इस प्रयोजन के लिए दिया था लेकिन उस प्रयोजन की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है। उसके अलावा इसके जो भी फॉर्मर्स हैं, जो शुगर केन का उत्पादन करते थे, उनका जो भी बकाया है, बकाये के भुगतान के लिए उसको प्राथमिकता में रखना चाहिए कि पहले बकाया भुगतान होगा, जो पूर्व के भुगतान होंगे, उसके बाद आगे इसका जो भी बिडिंग प्रोसेस हम अपनाना चाहते हैं, ई–बिडिंग अपनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उस पर निर्णय होगा, तो इसके तहत हम देखते हैं कि पब्लिक पर्पस के लिए जो जमीन लिया गया है 1985 के एक्ट में, लेकिन अब उसको हम दे दे रहे हैं प्राइवेट यूज के लिए । इसमें बहुत सीधी–सीधी स्पष्टता होनी चाहिए कि आप उसका करना क्या चाहते हैं ? ऐसा तो है नहीं कि अभी ले लिया कोई कि हम उद्योग लगाएंगे और कल के डेट में किसी और रूप में ही कर रहा हो ।

महोदय, इसके अलावा हमें लगता है, चूंकि चीनी मिल हमेशा इस हाउस का भी सब्जेक्ट रहा है, विधान सभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का सब्जेक्ट रहा है, तो जिसको भी यह आप दें, तो कम से कम हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो विधान मंडल की कमेटी हो, उस कमेटी से उसको एक बार चेक करवाएं कि जो पर्पस है, जिसके लिए लैंड दिया जा रहा है, वह पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है । एक विशेष कमेटी जो है विधान मंडल की, वह बननी चाहिए जिसमें जो भी सदस्य सरकार रखना चाहती हो, उसको रखे । ताकि इसका उपयोग जो है सही तरीके से हो और बिहार के किसानों को भी वह लाभ हो सके जिस लाभ के लिए सरकार इसको लाना चाहती है । महोदय, इन्हीं चीजों को लेकर हम चाहते हैं, एक बार सरकार इसको जनमत संग्रह के लिए भेजें, ताकि जनता भी अपने सुझाव इसमें दे सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026, दिनांक–31 जुलाई, 2026 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंगे बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो।''

महोदय, राज्य के गन्ना किसान के हितों में बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड के अधीन बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना हेतु इकाइयों की परिसंपत्ति को निगम राज्य सरकार को सम्पोषित संस्था, सहकारी संस्था, अन्य विभाग, निजी क्षेत्र की कंपनी या अन्य संस्था को हस्तांतरण हेतु बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1985 की धारा–3 की उपधारा 2 को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ।

इसलिए भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो –

यह अधिनियम बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा । इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 को निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / पुलकित / 21.07.2026

(क्रमशः)

श्री संजय कुमार, मंत्री : उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि निगम या राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था या सहकारी संस्था या अन्य विभाग या निजी क्षेत्र की कंपनी या अन्य संस्था उन बंधजों और शर्तों, जिन्हें अधिरोपित करना राज्य सरकार उचित समझे, का अनुपालन करने को इच्छुक है या अनुपालन कर चुकी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दी जा सकेगी कि, अधिकतर स्वत्व और हित निदेश के प्रकाशन की तारीख (जो नियत दिन से पूर्व की कोई तारीख न हों) राज्य सरकार में निहित होने के बदले निगम, राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था, सहकारी संस्था, अन्य विभाग, निजी क्षेत्र की कम्पनी या अन्य संस्था में निहित होंगे ।

उद्देश्य

राज्य के गन्ना किसानों के हित में बिहार राज्य चीनी निगम लि0 के अधीन बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना हो सके, जिससे इन क्षेत्रों में गन्ना के रकबा का विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार का सृजन एवं राज्य से पलायन में कमी लाने के लिए बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा–3 की उपधारा (2) में संशोधन की आवश्यकता है। अतः हम लोगों को इसे अधिनियमित करना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, चीनी मिल से संबंधित एक बात मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 जुलाई, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 37 है। अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाए।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।